

रा से चर्च हुई, यांची कांसर मानव अधिकार को संकरण और संयुक्त राष्ट्र से जुडी एक रौद्रातिक धरणा
अन्य अधिकारी द्वारे के अंदर कार्य करते से जुडी विशेष विशेषताओं को बीच के हैं। किया की प्रमाण भेनत
करते के लिए उपर्युक्त थीं थे और उपर्युक्त समाज पर विशेष पाइथागोरियन मूल्यों को धोने के बाबत मान रहे

अधिकारों पर कार्य करने का अर्थ न्याय, गैर-मेदानी, और समाज के कार्य करना है। जैशे तापि ज़कार के सिद्धांत पर उपर्युक्त वाचन में शामिल है, उसका समाज संस्कार हो गया। इसलिए, मानव अधिकारों की अवधारणा के सौभाग्यों के बाहर विकालने और कार्य करने के लिए विभिन्न उद्देश्य ढाँचा बनने के लिए विभिन्न वाचने ज़रूरी हैं कि मानव ज़कार के सिद्धांत के फ़िल्डटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

कई ठोंडी द्वारा मानव अधिकारी की भाषा के प्रयोग पर जोर देने से, बहुत ही लाइनलैंड-जिलिङ्ग अधिकारी ने अपने अधिकारी की भाषा और ठोंडी का प्रयोग अद्वितीय जारी कर दिया। अब अधिकारी जुदाना प्राप्त करने वाली इकाई से और अन्य एपिलिटर से अंदोलनों को साथ दिलाने की क्षमता बढ़ाने के लिए हस्तान्तर करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकारी की भाषा और मानव अधिकारी द्विटोलों की समरक्षीय का प्रयोग समुदायों के लाल के लिए किया जाए। सिद्धांतों को उस तरह से पेश

करने के लिए किया जाए जिसे लोग समझ सकें और आदेशानुसार ढौँचे एवं प्रशिक्षण पहुँच विकसित करने के लिए किया जाए। महिलाओं के मातृ हिंसा पर किराने वाले कार्यों के अंदर जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक ढौँचे सामने

आते हैं, जबसर उनका परिणाम मुद्रणी की सीरीज़ होता है। वार्षिक लीमानोवरका ने दोपहर मध्ये एक रेसी भी स्टिकिंग का बुलावा लिया जाता साथा कि वर्षायाप को ऐसे ठंडे में स्थानित कर दिया गया है जिसका व्याख्यासन-

व्याख्यासुनि, और संगति अवधारणा पर क्लिक्ट है। हाँ वात साक ह कि वह ठंडे साथों के अंतरालोंपर अवधारणों को अंतरालोंपर व्याख्यासनों के मुद्रणी अवधारण को रोकने के लिए

देशों में पैसे के प्रवाह और समस्या भवत्तरांगी बता, महिलाओं की सत्ता जो उन्हें देखती है कि वे अपनी जीवन जीता है – दूसरे जैसे ग्रामीण युद्धों की संघीकरण करने की चाचा, इन दूसरों को देखने का यह नारिया देता है जहाँ “पीड़ितों” को बचाने या उनका उद्धर करने की आवश्यकता है। सरकारी योग्यपत्रन युनियन, और द्वारा-नेशनल संस्कारों ने संघर्ष–प्रबला बाल्क्षर्म में इस मुद्दे को यहीं आकार देने की सरकार एवं अन्य राजनीतिक एजेंसी के नियन्त्रण में बढ़ाव दिया।

१. ओर हिलाइंगों की मुश्किलें विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका एवं बालून्स में अधिक मानव व्यापार एवं ऐसे में संबंधित जारी आ गया है। अधिक मानव व्यापार की दृष्टि से कंपनियों के अंदर गैर साकारों से संबंधित और एकीविरों द्वारा

जरूर युद्ध हो रही है, जिससे वे इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को और भी छोड़कर बढ़ावा दें।

ललन विशेषज्ञ, जो एकत्रित परम न मायानिकार्य एवं प्रत्यन्नन आवश्यक रूप पर्याप्त विद्यार्थी है। उसका लक्षण सामान्य संस्कृत के कठोर मनुष्यों का विविधाग्र ढाका की तरह लगता है। अतुर्का का, जो अप्रत्यक्ष आवश्यक पर उसके गमन प्रभाव को विसरणीय करता। उदाहरण

और गंगात को लेकर मानसिक बायाएँ उडती हैं और पर्यावरण का शही चित्रण फिल्मीयों का कलन भी मैं हूँ। इसलिए, उस दौराने के अंतर्गत माहिती सम्बन्धिक या ऐसे ट्राईक्सर्ड व्यक्ति के लिए मैं पद्धतिक बनाना चाहता रुप से असंभव है, और एक हिंसात्मक लाली को छोड़ने की संभावना पर की अवधारणा किया जाता है। महिलाओं के प्रति देखा के मुद्राएँ से लिपित किए गए कानूनी साझायता को अवश्य एक व्यापकता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कानूनी काला पुरुष परीक्षण या

नए कानून बनाना महत्वपूर्ण है लेकिन नवीनीकरण के प्रति हमें इसे बढ़ाव देने का अधिकारी भूमिका लेने वाले एकीकरणीयों को देखा करना चाहिए। जो जीवन ही सकते हैं और नवीनीकरण के लिए काम करें।

के बारे में बताया। जहाँ 400 युआ मॉडलों की हया कर दी गई, और पिछले एक दशक से 400 आर मॉडलों लापाम हो गई है। इससे निष्ठा में मैट्रिक्सन का असफलताओं से, संघ और सच्च तरक्की प्राप्तिकरणों की ओर ध्येयताएँ में

गमनर अलवान रहा। करोन दस वर्षीय तक, साथी प्राइवेटकॉर्न रायचुर रस्तेवे संस्कारा रथ जिम्बुरो साकार आपको दुह लास्परा से दूर रखता रहा। शिखउत्तारांगा ने रोजानासंपर्क तथ कानून लागू करने वालों ने अवश्यकों को जार माहोन्डों तंडुकों की प्रवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया की है। राज्य के सारे यानों को अवसरताना को अनेकों के कहने एवं मान हो रहे थे। और इसके परायनामध्ययन बरेत्यु, हिंसा की हाव्यांगों की बहुत सी घटनाओं में दूसी वाहनों को दाल की तह प्रयोग किया जाता है।

लिए अपनी भाषा और मुद्रों के स्थूल अस्तित्वों का ध्यान दे चुनाव करना सीखना पड़ा। प्रतिविम्बन में कॉक्स हाउस बैठकोंमें विचारालयक्रम प्रजानन अधिकार विक्रम के एस नहरवारी उदाहरण हैं, जिस पर विचार जिता जा रहा है। प्रस्तावित विचारालयक्रम में लिखितीयी निवारणों के लिए बुनियादी योगिक अधिकारों के संरक्षणों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक कार्रवा, और राजनीती दारों ने “गंभीर विचेषक” के रूप में इसका ध्यान करके इस पर प्रतिक्रिया की है। प्रमाणी की सीधी संबंधित संसाक्षणों जैसे विदेशक

प्रत्यक्त तराई है, जहे सुशोधित करने के लिए एपिलिस्ट महसूस करते हैं कि वे यांचिक अधिकार एवं गम्भीरता के बीच संबंधों को एक व्यावरण विधि के रूप में नवाचारणे के लिए मजबूर है।

अंडरटीम्स ने इंटरव्हिजन द्वारा शारदातल कीमतीय से अंडरटीम्स नामांकन लिया गया था। उनकी विवरणों का अधिकारी ने उनकी विवरणों को लिया गया था। उनकी विवरणों को करना पड़ता है, जिनकी जेंडर परवान महिलाओं

न काम करने वाला न उत्तम असत्याकारी नाम लक्षण देखते हैं और उत्तम विकास को हासिल करने वाले न उत्तम असत्याकारी नाम के साथ उत्तम न प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए यह अवधारणा है कि उत्तम या अतिमानवीकरण रूप उत्तमात्मा का प्रतीक प्रतीक है।

वाइस-कॉर्सल द्वारा अंतिम अंदाज के अंतर्गत की श्रेणीदर्शक विषयोंमें एक नियम दुर्लभ है। नियम में पार जाने वाले छापेवारों को फैलना कठिन है। द्वारा अंतिम व्यक्तियों को अंतर्गत विषयोंमें अपने मात्रा-पित्रों की दृष्टिकोण बदलनी पड़ती है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि यारपांच के परिवार को दौड़े में उत्तर जा आया स्थिरता-प्रियता है, उसके लिये वे अंतर्गत मात्रा-पित्रों के बहुत से लोगों ने सन् 2002 में मात्रा के एक दृश्य, प्रमुखता में दूसरे नियमों और डिफ़िन्स-सुधारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक

कटदूर्विकारा (अभियाच तासनीकीय या धार्मिक तातो) और अहिलातों पर कटदूर्विकारा विद्या, सारे विषय में बढ़ रही है। इस विद्या के सबके में मीडिया, जराता और मानव अधिकारों संम्बुद्धय की प्रतिक्रिया में या तो महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, या उनकी समस्या को सम्पर्कीय बना दिया जाता है। मौखिकों के रूप में महिलाओं को अपनी वैश्विक संवाद श्रंखला में साझा करने आए हैं उन पर अतीत घटन नहीं दिया गया है। संयुक्त राज्य

स्वीकारोक्तियां

नारीवाद, भागीदारियां, रुढ़िवाद, विखण्डन, सत्ता, सक्रियतावाद (एकिटविज्म), संबंध, पैसा, भाषा.....

शब्दों को साथ पिरोते हुए, विभिन्न व्याख्याओं और जटिलताओं की बारीकियों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। यह संवाद, नारीवादियों द्वारा कई सदियों की बातचीत को एक सूत्र में बांधता जा रहा है, जिन्होंने सीमाओं को आगे बढ़ाने और धेरों को तोड़ने में सहायता की है।

हम लिडिया अल्पाइज़र का, कार्यसूची पर हमारे साथ काम करने के लिए; संपादकीय सहायता के लिए विकटोरिया कोलिस और सोहाएला अब्दुलाली; रिपोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए राधिका चन्द्रीरामनी; अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए सुनीता भदौरिया, शालिनी सिंह और प्रमदा मेनन तथा डिज़ाइन के लिए शेरना दस्तूर का धन्यवाद करना चाहते हैं। इस वार्ता को आयोजित करने तथा सहायता प्रदान करने के लिए दि रॉकेफैलर फाउन्डेशन और दि बैलाजिओ स्टडी एंड कानफ्रेन्स सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद।

महिलाओं के प्रति हिंदा को समाप्त करने के लिए वैश्विक गठबंधन का निर्माण

5 - 9 जुलाई, 2004
दि बैलाजिओ स्टडी एण्ड कानफ्रेस सेंटर
बैलाजिओ, इटली

वैश्विक संवाद शृंखला
आधार पत्र 1

महिला मानव अधिकारों के वैश्वीकरण के लिए गठबंधन का निर्माणः वैश्विक संवाद श्रृंखला

महिला मानव अधिकारों के वैश्वीकरण के लिए गठबंधन निर्माण क्रिया की एक पहल है। महिला मानव अधिकार विषय पर चार चुनिन्दा वैश्विक संवाद इस पहल का हिस्सा हैं। इनका आयोजन विश्व के चारों कोनों से एकिटविस्टों को साथ लाकर किया जा रहा है, विशेषकर वो एकिटविस्ट जो विश्व के दक्षिणी क्षेत्र (ग्लोबल साउथ *) से हैं। इस पहल की संस्थापना इसलिए की गई कि यदि वैश्विक रूप से सामाजिक आंदोलन एक दूसरे से जुड़ें, रणनीतियों को आपस में बांटें और एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, तो एक अधिक न्यायपूर्ण, शान्त और सहनशील विश्व संभव है।

ये चार संवाद इस प्रकार हैं:

विश्व में महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए एक बैठक। यह संवाद इस बात को प्रकाश में लाता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा किस तरह जेंडर, यौनिकता और मानव अधिकारों के मुद्दों से जुड़ी हुई है।

सामाजिक आंदोलनों में महिला मानव अधिकारः संभावनाओं व मंचों को मज़बूत करना। यह संवाद इस बात पर ध्यान केन्द्रित करेगा कि किस तरह विभिन्न आंदोलन महिलाओं के मानव अधिकारों को शामिल नहीं करते हैं और किस तरह आंदोलनों को महिलाओं के मानव अधिकारों को मज़बूत करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए।

यौनिकता एवं मानव अधिकार : यह संवाद यौनिकता और मानव अधिकारों पर काम करने की रणनीतियों, चुनौतियों और मुद्दों पर अधिक चर्चा करेगा।

एक—दूसरे को सुनना : विभिन्न नारीवादी पीढ़ियों के बीच (मल्टीजेनरेशनल) संवाद। यह संवाद महिलाओं के मानव अधिकारों के मुद्दों पर काम करने वाली विभिन्न नारीवादी पीढ़ियों के बीच स्थित दूरी को कम करने का प्रयास करेगा।

- * यह शब्दावली अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमरीका के देशों के लिए प्रयोग की जाती है। समान्यतः इन्हें ऐसे देशों का समूह माना जाता है जो अधिकांशतः गरीब हैं और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। इन्हें प्रचलित रूप में “तीसरा विश्व” या “विकासशील” देश भी कहा जाता है।

प्रस्तावना

यह रिपोर्ट “महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए विश्वभर में गठबंधनों का निर्माण” शीर्षक से एक चार दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संवाद की कार्यवाहियों पर आधारित है। इस संवाद का आयोजन क्रिया यानि क्रिएटिंग रिसोसेस फॉर इपावरमेन्ट इन एक्शन द्वारा जुलाई 2004 में दि बैलाजिओ स्टडी एण्ड कानफ्रेन्स सेन्टर, इटली में किया गया था। यह संवाद क्रिया की “महिलाओं के मानव अधिकारों पर वैश्विक संयोजन के लिए गठबंधनों का निर्माण” शीर्षक से एक व्यापक पहल का हिस्सा था।

क्रिया ने महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों पर संवाद का आयोजन विश्वभर से उन एकिटविस्टों को साथ लाने के लिए किया, जिनका कार्य इस समझ पर आधारित है कि महिलाएं हिंसा की शिकार, हिंसा से निकल कर आने वाली (सरवाइवर) या हिंसा की अपराधकर्ता हो सकती हैं। इन एकिटविस्टों ने रोकथाम एवं सेवा प्रदान करने के लिए प्रगतिशील रणनीतियों का प्रयोग किया है। यह संवाद, ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान देते हुए, 11 देशों की 18 महिलाओं के साथ, महिलाओं के प्रति हिंसा पर हो रहे कार्य में उभरने वाले मुद्दों एवं चुनौतियों को साथ मिलकर खोजने का एक प्रयास था।

यह आधार पत्र विकास के उन पाँच बुनियादी विषयों पर ध्यान केन्द्रित करता है जो संवाद की प्रक्रिया के दौरान सामने आए। ये सभी विषय, विशेषरूप से उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों

और आमतौर से नारीवादी एवं महिला आंदोलन के लिए कार्य करते हैं। ये विषय हैं – नारीवाद एवं महिलाओं के प्रति हिंसा आंदोलन; विश्व दृष्टिकोण; सहभागिताएँ; प्राथमिकताएँ एवं रणनीतियाँ; तथा अनुदान एवं सत्ता। यह रिपोर्ट संवादों द्वारा इन सभी विषयों की जांच-पड़ताल करती है और कार्यवाही एवं विकास के लिए एक एजेंडा प्रस्तुत करती है।

परिचय

हाल के वर्षों में, महिलाओं के प्रति हिंसा ने, वैश्विक नीति के एजेंडे में स्वारूप्य एवं मानव अधिकार के मुद्दे के रूप में एक विशेष जगह बनाई है। महिलाओं के प्रति हिंसा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह मान्यता विश्वभर में महिला समूहों द्वारा दो दशकों से भी अधिक समय से सक्रिय रूप से कार्य करने के परिणामस्वरूप मिली है। विश्वभर में महिलाओं ने आश्रय प्रदान करने, कानून में सुधार करने और उन मनोवृत्तियों एवं मान्यताओं जिनके आधार में महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, को चुनौती देने के लिए हाथ मिलाया है।

फिर भी, अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन अब एक चौराहे पर खड़ा है। विश्वभर के देश अब वैश्वीकरण, रुढ़िवादियों के पुनः उठने, बढ़ते सैन्यवाद, बाज़ार की ताकतों के प्रभाव, और मानवों के अवैध व्यापार की विभिन्न परस्पर-विरोधी ताकतों से जूझ रहे हैं। इनके विभिन्न परिणाम लाखों महिलाओं के दैनिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं जिनसे ये महिलाएं और भी अधिक असुरक्षित होती हैं।

इतने अधिक वैश्वीकृत विश्व में, हिंसा विरोधी एकिटविस्टों को अपने हस्तक्षेपों की रचना दोबारा करनी पड़ी है, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से एक समय पर एक महिला को बचाने से आगे, व्यावहारिक और टिकाऊ हस्तक्षेपों की परिकल्पना और कार्यान्वयन का कठिन काम शुरू कर सकें। यह जरुरी हो गया है कि इस आंदोलन के सहभागी अपने आप से कुछ कठोर प्रश्न पूछें : अंदरुनी झगड़ों और मतभेदों से बाहर कैसे

निकले; महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे को विश्वव्यापी कैसे बनाएं जिससे कि देशों की सीमाओं के परे की कम्पनियां अपनी आवाज़ पूरे विश्व में सुना सकें; सेवाएं प्रदान करने एवं रोकथाम का कार्य करने के बारे में सही सन्तुलन कैसे लाएं; और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पीडितों, हिंसा से निकल कर आने वाली (सरवाइवरों) या अपराधकर्ताओं के रूप में – महिलाओं की भूमिका कहाँ पर है।

महिलाओं के प्रति हिंसा आंदोलन के सामने महत्वपूर्ण चुनौती ऐसी रणनीतियों और हस्तक्षेपों की समझ को विकसित एवं विस्तृत करना है, जो विभिन्न परिस्थितियों और अवस्थाओं में उनके मुद्दों को प्रभावशाली रूप से संबोधित करें। इस संदर्भ में एक सबसे बड़ी बाधा इस क्षेत्र के अंदर के विभिन्न खण्डों की व्यापक समझ का न होना है, और साथ ही समाजकर्मियों का पूरे परिदृश्य को जांचने की बजाय केवल महिलाओं के प्रति हिंसा के एक प्रकार पर ध्यान देना है। विभिन्न मुख्य समर्थकों के समूह; चाहे वे नीतिनिर्धारक हों, अनुदानकर्ता, महिला अधिकार पैरोकार, गैर सरकारी संस्थाएं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हों; इस मुद्दे पर अलग, या फिर परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों को उच्चारित करते रहते हैं, और उसके कारण हिंसा को संबोधित करने के प्रकार, कारण और रणनीतियों के सारे क्षेत्र की समझ को रोक देते हैं।

इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, क्रिया ने महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे पर इस संवाद का आयोजन विश्वभर से उन

एकिटविस्टों एवं अनुदानकर्ता को साथ लाने के लिए किया, इनका काम इस समझ पर आधारित है कि महिलाएं हिंसा की शिकार होती हैं और उससे निकलकर फिर से जीवन शुरू भी कर सकती हैं या अपराधकर्ता भी हो सकती हैं। इन लोगों ने महिलाओं के प्रति हिंसा से जुड़े रोकथाम एवं सेवा प्रदान करने के मुद्दों पर कार्य करने के लिए प्रगतिशील रणनीतियों का प्रयोग किया है। कुछ प्रतिभागियों ने अपने कार्य को केवल महिलाओं के प्रति हिंसा पर केन्द्रित बताया। कुछ अन्य ने संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में बात करने के लिए “जेंडर आधारित हिंसा”¹ शब्दावली के प्रयोग को चुनौती दी। उनका मानना था कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर अदलबदल कर प्रयोग नहीं किए जा सकते, क्योंकि पहले शब्द में वो हिंसा भी शामिल होगी जिसका सामना ट्रांसजेंडर² और ट्रांससेकशुअल³ लोगों को करना पड़ता है। हालाँकि, उन्होंने यह भी महसूस किया कि वास्तव में बहुत कम संस्थाओं ने लिंगपरिवर्ती (ट्रांसजेंडर) और परालिंगी (ट्रांससेकशुअल) लोगों के मुद्दों को संबोधित किया है। सभी प्रतिभागियों ने यह माना कि वे महिलाओं के प्रति हिंसा, यौनिकता तथा मानव अधिकार के कुछ पहलुओं पर कार्य करती हैं।

इस वैशिक संवाद के हिस्से के रूप में, कुछ प्रतिभागियों को उनके कार्य के बारे में प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहा गया था। इन प्रस्तुतियों और उसके बाद की चर्चाओं ने – महिलाओं के प्रति हिंसा में क्या शामिल है, इन मुद्दों से निपटने के लिए रणनीतियाँ और डोनरों की प्राथमिकताओं – के संबंध में हर व्यक्ति की समझ को बढ़ाने में एक उत्प्रेरक का काम किया।

पहले दिन प्रतिभागियों ने एकिटविज्म की वर्तमान स्थिति और महिलाओं के प्रति हिंसा की समाप्ति पर हुई प्रगति का विश्लेषण करने के लिए तरह तरह के तरीके व ढाँचे खोजे। दोपहर के सत्र में – यूनाइटेड स्टेट्स आपराधिक न्याय प्रणाली में युवा महिलाएं, भारत में यौनिकता पर चुप्पी, दारफुर, सूडान में महिलाओं पर सशस्त्र युद्ध के परिणाम और नागरिक अधिकार आंदोलन से लेकर वर्तमान यूनाइटेड स्टेट्स में अश्वेत महिलाओं के प्रति हिंसा पर प्रस्तुतियां शामिल थीं।

महिलाओं के प्रति हिंसा पर और अधिक गहरी समझ की प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही। प्रस्तुतकर्ताओं ने दर्शाया कि, राज्य एवं नागरिक समाज, हिंसा को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकता है। अलग अलग सात देशों से केस स्टडीज़ प्रस्तुत की गई, लेकिन मुद्दे एक जैसे ही सामने आए।

केस स्टडीज़ इस प्रकार थीं:

यौनिक अल्पसंख्यकों के प्रति सामाजिक दमन : अर्जन्टीना

कट्टरवाद और महिलाएं : भारत

सिउदाद जुआरेज़ में मारी जाने वाली महिलाएं : मैक्सिको

संस्कृति, समाज और धर्म का प्रभाव : फिलिपीन्स

अवैध मानव व्यापार (ट्रैफिकिंग) और कानून : पोलैण्ड

हिंसा और आपराधिक न्याय प्रणाली : दक्षिण अफ्रीका

कट्टरवाद और प्रतिनिधित्व : संयुक्त राज्य अमरीका

प्रतिभागियों ने यह जाना कि, सभी संस्कृतियों में राज्य एवं नागरिक समाज, महिलाओं के प्रति हिंसा में जिस तरह से भाग लेते हैं, उसका रूप लगभग मिलताजुलता है। ये समानताएं सक्रिय कार्यकर्ताओं को हिंसा से लड़ने के लिए रणनीतियां समझने में सहायता कर सकती हैं।

तीसरे दिन, संवाद का केंद्र हिंसा की परिभाषाओं से हट कर उसके विभिन्न रूपों का समना करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने की ओर हुआ। चुनिन्दा प्रतिभागियों ने चुनौतियों और सफलताओं का उल्लेख करते हुए अपनी नई उन्नतिशील रणनीतियों के बारे में बताया। इसके आगे की कार्यवाही में, डोनरों ने गैर सरकारी संस्थाओं एवं समाजकर्मी संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान में अंतर्निहित सत्ता के समीकरणों के

बारे में प्रस्तुतीकरण किया। पिछले दिनों की चर्चा से उभरे कुछ मुख्य शीर्षकों तथा विषयों को साथ मिलाने के साथ चौथे दिन, गठबंधन निर्माण संवाद का समापन हुआ।

अठारह लोगों ने चर्चा में योगदान किया। इनमें से हर एक ने अपने दृष्टिकोण और अनुभवों को सबके सामने रखा। इन अठारह लोगों के विचारों से, कुछ आम मुद्दे और पाँच मुख्य शीर्षक निकल कर सामने आए, जो महिलाओं के प्रति हिंसा की समाप्ति के कार्य में आने वाली कठिनाईयों के साथ साथ सफल रणनीतियों का चित्रण करते हैं। ये पाँच शीर्षक – यानि नारीवाद एवं महिलाओं के प्रति हिंसा आंदोलन; वैशिक दृष्टिकोण; सहभागिताएं, प्राथमिकताएं एवं रणनीतियां; और अनुदान एवं सत्ता – इस आधार पत्र के पांच भाग हैं। यह आधार पत्र इस बात की भी जांच करता है कि नई समझ भविष्य में महिलाओं के प्रति हिंसा से जुड़े मुद्दों पर किये जाने वाले कार्य को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है।

1. महिलाओं के प्रति हिंसा में जेन्डर पर आधारित हिंसा की वे सब कार्यवाहियाँ शामिल होती हैं, जिनका परिणाम शारीरिक, यौनिक या मानसिक कष्ट अथवा महिला को पीड़ा पहुँचाना है, या हो सकता हो। इसमें ऐसे कष्ट पहुँचाने की धमकियां, जबरदस्ती करना, या मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का हनन करना भी शामिल है, चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर। महिलाओं व बच्चियों के विरुद्ध हिंसा उनके मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और यह उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुँचाता है।
2. ट्रान्सजेन्डर – औरत और मर्द के परिभाषा में नहीं बंधे हुए। उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मर्द हो सकता है लेकिन वो अपने जेन्डर को 'मर्द' नहीं औरत बताते हैं। या फिर वे अपने को इन दोनों अलग-अलग खाकों में ही बांधकर नहीं देखते
3. ट्रांससेक्शुअल – ऐसे लोग होते हैं जो जन्म के समय, प्रकृति द्वारा दिए गए लिंग में परिवर्तन कर, दूसरा लिंग पाने के इच्छुक होते हैं या पा चूके होते हैं। सरल शब्दों में इसे इस तरह कहा जा सकता है कि स्त्री शरीर में कैद पुरुष अथवा पुरुष शरीर में कैद स्त्री। बहुत सी ट्रांससेक्शुअल स्त्रियों का मानना है कि वे हमेशा से ही स्त्री थीं परन्तु उन्हें, उनके जननांगों के आधार पर पुरुष लिंग की पहचान दे दी गई। अब यह जानने के बाद कि वे वास्तव में महिला ही हैं, वे शारीरिक बदलाव द्वारा अपने शरीर को अपने जेन्डर के अनूरूप लाना चाहती हैं। ट्रांससेक्शुअल पुरुष इसके ठीक विपरीत सोचते हैं।)

‘हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि महिलाएं ‘सही’
निर्णय लें’

— लीसा वैटेन, दक्षिण अफ्रीका

इस वैश्विक संवाद में प्रतिभागियों के लिए मुख्य चिंता वैश्विक नारीवादी आंदोलन की वर्तमान स्थिति का पूरी तरह, ईमानदारी से और कठिन विश्लेषण करना था। प्रतिभागियों द्वारा नारीवादी आंदोलन के इतिहास और कार्य की छानबीन ने आंदोलन द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा पर किए गए कार्य की ताकतों और कमज़ोरियों पर प्रकाश डाला।

नारीवाद की चर्चा दो मुख्य मुद्दों पर केन्द्रित रही। पहला, नारीवाद किस तरह बदल गया है, क्योंकि यह मुख्यधारा की सोच और नीतिनिर्धारकों के बीच अधिकाधिक स्वीकार्य होता जा रहा है। दूसरा, नारीवादी आंदोलन — किस प्रकार जिम्मेदार है — प्रश्न उठाने की स्थिति के लिए और उस परिवर्तन की स्थिति के लिए जिसमें वह अपनेआप को अभी पाता है।

नारीवादी आंदोलन के व्यापक संदर्भ के अंदर प्रतिभागियों ने स्वयं को महिलाओं के प्रति हिंसा पर कार्य करने वाले सक्रियतावादियों के रूप में पहचाना। हालाँकि, उन्होंने महसूस किया कि नारीवादी आंदोलन की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे हैं, जो महिलाओं के प्रति हिंसा की समाप्ति के उनके उद्देश्यों में बाधाओं का काम करते हैं।

जुलाई 2004 में बैलाजिओ में हुई बहस, व्यापक आंदोलन के अंतर्गत शीर्षकों को पहचानने और खोजने की ओर, एक पहले महत्वपूर्ण कदम को प्रस्तुत करती है, जिसे प्राथमिक विषय के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। पेश किए गए

दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ में कार्यरत संस्थाओं के थे और जो शीर्षक उभर कर आए वे इस प्रकार थे:

सक्रियतावाद (एकिटविजम)

बहुत से प्रतिभागियों के लिए, महिलाओं के प्रति हिंसा की समाप्ति पर कार्य के दृष्टिकोण के तौर पर एकिटविजम और व्यावसायिकता (प्रोफैशनलिजम) की आवश्यकताओं और प्रभावकारिता के बीच चिंताजनक तनाव है।

जैसे कि क्रिया की स्मिता पमार ने उसका वर्णन किया, “जो कार्यान्वयन पर कार्य करते हैं वे कभी कभी नाराज हो जाते हैं। जिस तरह से नीति का कार्य आकर्षक है, मानव अधिकारों का कार्य आकर्षक है, एकिटविजम उस तरह से आकर्षक नहीं है।” कुछ लोगों ने कहा कि सामान्यतः एकिटविजम बहुत अधिक व्यावसायिक (प्रोफैशनलाइजड) होता जा रहा है और हिंसा तथा दैनिक जीवन में महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य मुददों की वास्तविकता से दूर होता जा रहा है। जबकि अन्य लोगों ने यह बात उठाई कि अनुदान प्राथमिकताएं समस्या को और कठिन बना देती हैं।

विपक्ष

सक्रियतावाद और व्यावसायिकता के बीच तनाव से जुड़ी एक दृढ़ भावना यह है कि नारीवाद ने कुछ खो दिया है, क्योंकि उसके नेताओं को व्यवस्था के अंदर आमंत्रित किया गया था। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के सेन्टर फॉर दि स्टडी ऑफ वायलेन्स एण्ड रेकन्सिलिएशन से आई लीसा वैटेन ने कहा, “विरोध आसान है। जब आपसे कोई कहता है – ठीक है, अब आप जाकर उसे सही कीजिए – तो उससे डर लगता।” अन्य लोगों ने यह कहा कि प्रशासकों ने नारीवादी आंदोलन को राजनीति से दूर करने के लिए महिला संस्थाओं के अनुदान को जानबूझ कर रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया है।

स्वच्छता

तीसरा मुख्य शीर्षक – एकिटविजम के बारे में उठाए गए विचारों से करीब से जुड़ी यह चिन्ता है कि वर्तमान में महिला आंदोलन विभिन्न कठिन एवं विभाजनात्मक मुद्दों का सामना करने से आंखें चुरा रहा है। यूनाइटेड नेशन्स् चिल्डर्स् फण्ड (UNICEF) / आफिस ऑफ दि यूनाइटेड नेशन्स् हाई कमीशनर फॉर ह्यूमन राइट्स (UNOHCHR) / आफिस फॉर डेमोक्रेटिक इन्सटीट्यूशन्स् एण्ड ह्यूमन राइट्स (ODIHR) के साथ अवैध मानव व्यापार (ट्रैफिकिंग) पर परामर्शदाता, बार्बरा लीमानोवस्का उसे इस प्रकार व्यक्त करती हैं, “हम अश्लील साहित्य के बारे में, वेश्यावृत्ति के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते? क्या यह हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है?” एक मुख्य समस्या इन विषयों पर नारीवादियों और अन्य महिलाओं की राय के बीच का बड़ा अंतर, एकिटविजम और व्यावसायिकता के बीच का तनाव, और महिलाओं की कार्यसूची को विस्तृत जेंडर ढाँचे में शामिल करना हो सकती है।

रुढ़िवादिता

पूरे समूह के लिए, कट्टरवाद और / या रुढ़िवादिता एवं महिलाओं के प्रति हिंसा के बीच स्पष्ट और चिंताजनक संबंध है। बहुतों ने सरकार द्वारा अभिव्यक्त बढ़ती रुढ़िवादिता और गैर-जिम्मेदारी को अपने कार्य के कारण के रूप में देखा। उन्होंने रुढ़िवादिता को लोकतंत्र-विरोधी, धर्मनिरपेक्षता-विरोधी और महिला-विरोधी के रूप में देखा और यह स्वीकारा कि सभी रुढ़िवादिताओं में एक समानता है – सबका ध्यान हमेशा महिलाओं, उनके शरीर और उनकी यौनिकता पर नियन्त्रण रखने की ओर रहता है।

जिम्मेदारी

नारीवादी आंदोलन द्वारा प्रश्न उठाने तथा निरन्तर परिवर्तन की स्थिति के लिए उसकी अपनी जिम्मेदारी पर कुछ चर्चा हुई।

श्रीलंका की इनफोर्म (INFORM) संस्था से सुनीला अभयासेकरा ने समानता एवं अधिकारों पर हुए क्रमानुगत विश्व सम्मेलनों के संदर्भ में प्रश्न उठाया: “1980 के दशक में हमारे लिए नीतिनिर्धारण प्रक्रिया का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण हो गया। हमें उस राजनीति को परखना जरुरी है जिसमें हम जुड़ते हैं। हमने ऐसा ही किया।” भारत से वनांगना संस्था की माधवी कुकरेजा ने आगे यह सुझाव दिया कि नारीवादी एक्टिविस्ट अधिकतर सुरक्षित स्थानों पर जमा होते हैं, इसमें सम्मेलन भी शामिल हैं, लेकिन अब जमीन पर उनके दिखाई देने की संभावना कम ही है, जैसा कि हाल में गुजरात, भारत में हुए प्रदर्शनों से सामने आया है।⁴

विखण्डन

महिला आंदोलन पहचान, वर्ग, यौनिकता और रुद्धिवादिता के मुद्दों पर अधिकाधिक विभाजित होता जा रहा है। कुछ प्रश्न जो उठ रहे हैं वो हैं: क्या कोई आदर्श महिला है; संवाद के अंदर मर्दानगी और नारीत्व के मुद्दे कहाँ पर सही बैठते हैं; क्या महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मानव अधिकारों का ढाँचा ही अकेला उपाय है; नारीवादियों के रूप में जब हम सरकार से आपराधिक कृत्य को परिभाषित करने और उपाय प्रदान करने के लिए कहते हैं, उससे हमारा क्या तात्पर्य होता है; क्या सत्ता और पितृसत्ता की नारीवादी विचारधारा के बजाय न्यायिक और कानूनी सुधार के बारे में बात करना ज्यादा सही है? यौनिकता एक ऐसा मुद्दा है जो अभी भी महिला आंदोलन को विभाजित कर सकती है क्योंकि सारी चर्चायें हिंसा और रोग नियन्त्रण पर ही केन्द्रित हैं नाकि आनन्द तथा पहचान के मुद्दों पर। उठाए गए प्रश्न वो मुद्दे हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं और कई मायनों में आंदोलन के अंदर विभाजन में योगदान भी दे रहे हैं।

4. सन् 2002 में भारत, गुजरात में देखे गए नरसंहार के संदर्भ में।

“मानव अधिकार की भाषा का प्रयोग सहभागिताओं को संभव बनाता है, यह आंदोलनों के बीच एक पुल का काम करता है।”

रोज़लिन साचेल, संयुक्त राज्य अमरीका

चर्चा में पाँच महाद्वीपों में फैले सात अलग अलग देशों से महिलाओं के प्रति हिंसा के उदाहरण शामिल थे। ये उदाहरण न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से लेकर पीड़ितों के परिवारों पर हुए प्रभाव, भारत, गुजरात में हुए नरसंहार में महिलाओं के शामिल होने के विश्लेषण तक फैले हुए थे। बहस के केन्द्र में भाषा और अर्थ : उसकी तरलता, जोड़–तोड़ और सत्ता पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला था। इतने अलग अलग विषयों पर बातचीत करने के बावजूद, इस सत्र से एक सूत्र में बांधने वाले नौ शीर्षक दृढ़ता से सामने आए।

1. मानव अधिकार

मानव अधिकार और ढाँचों की भाषा के बारे में प्रश्नों पर काफी जोश से चर्चा हुई, क्योंकि अक्सर मानव अधिकार को सरकारों और संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक सैद्धांतिक धारणा के रूप में देखा जाता है। महत्पव्यूर्ण बात है उस अंतर को पहचानना जो मानव अधिकार ढाँचों के पीछे की सोच और संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अधिकारिक ढाँचों के अंदर कार्य करने से जुड़ी विशेष विशेषताओं के बीच के है। क्रिया की प्रमदा मेनन ने एक ऐसी स्थिति का उदाहरण दिया जहाँ यौनिकता पर एक कार्यशाला में भारतीय प्रतिभागी मानव अधिकार ढाँचे के अंदर कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे और उसे हमारे समाज पर विशेष पाश्चात्य मूल्यों को थोपने के बराबर मान रहे थे। हालाँकि, एक बार उन्हें यह अहसास होने के बाद, कि मानव अधिकारों पर कार्य करने

का अर्थ न्याय, गैर-भेदभाव, और समानता पर कार्य करना है, जोकि मानव अधिकार के सिद्धान्त हैं और उनके अपने कार्यों में भी अंतर्निहित हैं, उनका सन्देह समाप्त हो गया। इसलिए, मानव अधिकारों की अवधारणा को सैद्धांतिक घेरे से बाहर निकालने और कार्य करने के लिए तथा अधिक अर्थपूर्ण ढाँचा बनाने के लिए यह दिखाना जरुरी है कि मानव अधिकार के सिद्धांत किस प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं।

कई डोनरों द्वारा मानव अधिकारों की भाषा के प्रयोग पर जोर देने से, बहुत से महिला अधिकार एकिटिविस्ट, मानव अधिकार की भाषा और ढाँचों का प्रयोग “अतिरिक्त जोर”, या अधिक अनुदान प्राप्त करने की इच्छा से और अन्य एकिटिविस्ट आंदोलनों के साथ जुड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि मानव अधिकारों की भाषा और मानव अधिकार दृष्टिकोण की यन्त्रावली का प्रयोग समुदायों के लाभ के लिए किया जाए, सिद्धांतों को उस तरह से पेश करने के लिए किया जाए जिसे लोग समझ सकें, और आदेशानुसार ढाँचे एवं प्रशिक्षण पहुँच विकसित करने के लिए किया जाए।

2. ढाँचे के मुद्दे

महिलाओं के प्रति हिंसा पर किए जाने वाले कार्यों के अंदर जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक ढाँचे सामने आते हैं, अक्सर उनका परिणाम मुद्दों की संकीर्णता होता है। बार्बरा लीमानोवस्का ने दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक ऐसी ही स्थिति का खुलासा किया जहाँ मानवों के अवैध व्यापार को ऐसे ढाँचे में स्थापित कर दिया गया है जिसका ध्यान प्रवासन, वेश्यावृत्ति, और संगठित अपराधों पर केन्द्रित है। यह बात साफ है कि यह ढाँचा मानवों के अवैध व्यापार की समाप्ति की ओर नहीं जाता। यह ढाँचा डोनरों और सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के मुद्दों, अवैध मानव व्यापार को रोकने के लिए देशों में पैसों के प्रवाह और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं की सत्ता जो उन्हें वेश्यावृत्ति को एक व्यवसाय के रूप में चुनने की ओर ले जाती है – इन जैसे वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने की

बजाय, इन मुद्दों को देखने का यह नजरिया देता है जहाँ “पीड़ितों” को बचाने या उनका उद्धार करने की आवश्यकता है। सरकारों, यूरोपियन यूनियन, और ट्रान्सनेशनल संस्थाओं ने संघर्ष-पश्चात बाल्कन्स् में इस मुद्दे को यही आकार देने की कोशिश की है।

सरकार एवं अन्य राजनीतिक एजेंडों के मिश्रण, और महिलाओं की मुकित के लिए उन्नसवीं शताब्दी की रोमांचक अपील से उत्प्रेरित हो कर बाल्कन्स् में अवैध मानव व्यापार एजेंडे में सबसे ऊपर आ गया है। अवैध मानव व्यापार के ढाँचे के अंदर गैर सरकारी संस्थाओं और एकिटविस्टों, दोनों को संसाधनों की होड़ के लिए मज़बूर होना पड़ता है, जिसका परिणाम होता है अप्रयुक्त संसाधनों का अन्य क्षेत्रों में कार्य के लिए उपलब्ध होना। विडम्बना यह है कि अनुदान की होड़ डोनरों को यह विश्वास दिलाती है कि अवैध मानव व्यापार में जरुर वृद्धि हो रही है, जिससे वे इस क्षेत्र में अपने प्रयासों को और भी अधिक केन्द्रित करते हैं।

ललैन विएडो, जो फिलीपिन्स में यौनिकता एवं प्रजनन अधिकार पर परामर्शदाता हैं, उन्होंने फिलिपीनी संस्कृति के केन्द्र में मज़बूत पारिवारिक ढाँचों की तस्वीर प्रस्तुत की, और महिला अधिकारों पर उसके गंभीर प्रभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने इन सख्त मान्यताओं को मज़बूत करने में कैथोलिक चर्च और राज्य की शक्तियों के बीच की सांठ-गांठ पर भी बात की। महिलाएं मानती हैं कि पुरुष, महिला और बच्चों वाला परिवार ही जीवन का एकमात्र ढाँचा है और इसी वजह से गर्भनिरोध और गर्भपात को लेकर मानसिक बाधाएं उठती हैं और परिवार का यही चित्रण फिलिपीनी कानून में भी है। इसलिए, उस ढाँचे के अंतर्गत महिला समलैंगिक या एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में पहचान बनाना गंभीर रूप से असंभव है, और एक हिंसात्मक साथी को छोड़ने की संभावना पर भी समझौता किया जाता है।

3. सोचविचार और कार्यवाही

महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे से निपटने के लिए कानूनी सहायता को अक्सर एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि कानूनों का पुनः परीक्षण या नए कानून बनाना महत्वपूर्ण है लेकिन महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे पर कार्य करने वाले एकिटिविस्टों को ऐसा कानून बनाने का जोखिम हो सकता है, जो महिलाओं के विरुद्ध कार्य करे।

लीसा वैटेन ने रंगभेद नीति-पश्चात दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकार आधारित कानूनी ढाँचों के प्रयोग का वर्णन किया। एक मुख्य खतरे के रूप में उन्होंने एक ऐसे कानून के संभावना की पहचान कि जिसके अनजाने परिणाम हो सकते हों और जो महिलाओं के विरुद्ध प्रयोग किए जाने वाला उपकरण बन सकता हो। उदाहरण के रूप में दक्षिण अफ्रीका की एच.आई.वी./एडस संक्रमण की ऊँची दर से लड़ने के लिए वर्तमान प्रस्तावों में ऐसे विधेयक का खाका शामिल है जो एच.आई.वी.-पॉजिटिव व्यक्तियों द्वारा हानिकारक यौनिक आचरणों को आपराधिक करार देगा। एच.आई.वी. वाइरस के लिए गर्भवती महिलाओं की नियमित रूप से जॉच की जाती है, और बहुत सी महिलाएं हिंसात्मक सजा के डर से पहले से ही अपनी एच.आई.वी. स्थिति का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस तरह कानून से महिलाओं पर अपने साथियों को संक्रमित करने के आरोप के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि ये कानून मानव अधिकार आधारित है पर इसे महिलाओं के प्रति इस्तेमाल किया जा सकता है।

दि असोसिएशन ऑफ विम्झनस राइट्स इन डिवेलपमेंट (AWID) की लिडिया अल्फाइज़र ने मैक्सिको में, संयुक्त राज्य अमरीका/मैक्सिको सीमा पर सिउदाद जुआरेज, चिंहुआहुआ राज्य की परिस्थिति के बारे में बताया। जहाँ 400 युवा महिलाओं की हत्या कर दी गई, और पिछले एक दशक में 400 और महिलाएं लापता हो गई हैं। इससे निपटने में मैक्सिकन राज्य की असफलताओं में, संघ और राज्य सरकार प्राधिकरणों के बीच जिम्मेदारी में गंभीर अलगाव रहा। करीब दस वर्षों तक, संघीय प्राधिकरण

राज्य स्तरीय संस्थाओं पर जिम्मेदारी सौंपकर अपने आपको इस समस्या से दूर रखता रहा। चिंहुआहुआ में ऐतिहासिक रूप से कानून लागू करने वालों ने अपराधों की ओर महिलाओं से घृणा की प्रवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया की है। राज्य के सारे यन्त्रों की असफलता का अर्थ है कि हत्याएं आम हो गई हैं, और इसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा के हत्याओं की बहुत सी घटनाओं में इसी बहाने को ढाल की तरह प्रयोग किया जाता है सजा से बचने के लिए।

4. खेल खेलना

महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों पर कार्य करने वाले एकिटिविस्टों को अक्सर ऐसी परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है जहाँ वे अपने आप को सक्रियतावादी राजनीति और सरकार की नीतियों के बीच एक पतली लकीर पर चलता पाते हैं।

उदाहरण के लिए, फिलीपिन्स में विशिष्ट सामाजिक मानदण्डों की श्रेणी थोपने के लिए चर्च और राज्य के बीच की सांठ-गांठ का एक नतीजा यह है, कि महिला समूहों और एकिटिविस्टों को, किसी भी तरह की प्रगति करने के लिए अपनी भाषा और मुद्दों के सूक्ष्म अर्थभेदों का ध्यान से चुनाव करना सीखना पड़ा।

फिलीपिन्स में, कॉंग्रेस द्वारा वर्तमान में विवादास्पद प्रजनन अधिकार विधेयक एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिस पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक फिलिपीनी महिलाओं के लिए बुनियादी यौनिक अधिकारों के सिलसिले को प्रतिष्ठापित करेगा, और रुढ़िवादी ताकतों ने “गर्भपात विधेयक” के रूप में इसका वर्णन करके इस पर प्रतिक्रिया की है। प्रगति की सीमित संभावना जो यह विधेयक प्रस्तुत करता है, उसे सुरक्षित करने के लिए एकिटिविस्ट महसूस करते हैं कि वे यौनिक अधिकार एवं गर्भपात के बीच संबंध को एक व्यवहार विषय के रूप में नकारने के लिए मजबूर हैं।

5. पदक्रमों का प्रतिरूप प्रस्तुत करना

अर्जेन्टीना में इंटरनेशनल गे एण्ड लेसबिअन व्यूमन राइट्स कमीशन से अलेजान्ड्रा सारदा ने लैटिन अमरीका में उस परिस्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसका सामना उन व्यक्तियों को करना पड़ता है, जिनकी जेंडर पहचान महिलाओं तथा पुरुषों के निश्चित मानदण्डों से बाहर होती है। हालाँकि महिलाओं के लिए बेहतर समानता के संदर्भ में महिला आंदोलन ने काफी कुछ हासिल किया है, लेकिन अन्य समूहों के लिए समाज में जेंडर के आधार पर बने ढाँचे में अपनी जगह न बना पाने में उनकी असमर्थता को समर्थन देकर यह उनके लिए हानिकर रहा है।

कई लोग समाज में सदस्यता पाने के लिए समाज में प्रचलित व्यवहारों को अपनाते हैं। बहुत सी प्रतिक्रियाएं शेष दुनिया के प्रतिरूप को प्रस्तुत करने की बुनियादी जरूरत के साथ धोखा करती है ताकि वे किसी तरह की सदस्यता पा सकें। उदाहरण के लिए, समान-लिंग नागरिक संबंध का अधिकार बहुत अधिक जोर शोर से चर्चित और समर्थित मुद्दा है, और लैटिन अमरीका में लेसबिअन/गे/बाईसेक्युअल/ट्रांसजेंडर आंदोलन के अंदर की श्रेणीबद्धता विषमलैंगिक-केन्द्रित दुनिया में पाए जाने वाली छवियों की नकल करती है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर वृद्धावस्था में अपने माता-पिता की देखरेख करनी पड़ती है और उनसे यह अपेक्षा की जाती है, कि पारम्परिक परिवार के ढाँचे में उन्हें जो थोड़ी स्वीकृति मिलती है, उसके लिए वे अहसानमंद हों।

माधवी कुकरेजा ने सन् 2002 में भारत के एक राज्य, गुजरात में हुए नरसंहार और हिन्दू समुदाय के अंदर के अल्पसंख्यक समूह तथा महिलाओं द्वारा मुसलमान समुदाय, विशेषकर महिलाओं पर, हिंसा को भड़काने में सक्रिय भूमिका का वर्णन किया। स्वयं अपनी असमानता और अधिकारों के दुर्व्यवहारों के बावजूद, लूटपाट, हत्या, तथा आघात और मुसलमान लोगों को उनके घरों से बाहर निकालना, ये सभी काम हिन्दू संस्कृति के अंदर के इन हाशिए पर खड़े समूहों द्वारा किए गए।

6. उत्पीड़ित और उत्पीड़न

गुजरात के नरसंहार की एक विशेषता यह थी कि भारत में इस बात की दुविधा रही कि इसकी स्थिति के अंदर पीड़ित कौन थे। रिपोर्टिंग कौन कर रहा था, इस आधार पर हर समुदाय में नरसंहार से प्रभावित हुए लोगों की संख्या बदलती रही। अपराधकर्ताओं तथा पीड़ितों की पहचाने अदल-बदल गई। अधिकारियों के साथ साथ मीडिया की चुप्पी से कई लोगों को यह विश्वास हो गया कि जो मारे गए हैं, वे केवल हिन्दू थे। बाद में, बहुत सी गैर सरकारी संस्थाओं ने इस स्थिति में शामिल होने में कठिनाई महसूस की, क्योंकि हिन्दू राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ लिया था और संस्थाओं को यह डर था कि वह राजनैतिक खेलों का निशाना बन जाएंगे।

दक्षिण अफ्रीका के अनोखे इतिहास का परिणाम एक ऐसी स्थिति बनी, जहाँ बहुत से लोग एक ही समय में उत्पीड़ित व आक्रामक दोनों होते हैं, जिसका शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण विनी मंडेला है। यह स्थिति दोनों भूमिकाओं के बीच तनाव पैदा करती है – अच्छे उत्पीड़ित और दुष्ट आक्रमणकारी – जिन्हें अक्सर एक दूसरे से बिल्कुल अलग रूप में देखा जाता है, खासतौर पर तब, जब यह महिलाओं के संबंध में होती है।

बहुत से लोगों के लिए यह स्वीकार करना कठिन होता है कि ये दोनों स्थितियां एकसाथ एक ही व्यक्ति के अंदर रह सकती हैं। जिससे उदाहरण के लिए, ऐसे मामलों में, जहाँ महिलाएं अपने दुर्घटनाकारी साथी को मार देती हैं, वहाँ सजा देने में समर्थाएं पैदा हो जाती हैं। इसी के साथ, यह तर्कशास्त्र ऐसी परिस्थिति भी पैदा करता है, जहाँ जिन लोगों ने सीधे एक विशेष प्रकार की हिंसा या मानव अधिकार हनन का अनुभव नहीं किया है, शायद उन्हें इस विषय पर बोलने से रोक दिया जाए।

7. उत्पीड़ितों को उपभोग की वस्तु बनाना

कट्टरवादिता (अनिवार्य राजनीतिक या धार्मिक ताकते) और महिलाओं पर कट्टरवादी हिंसा, सारे विश्व में बढ़ रही है। इस हिंसा के संबंध में मीडिया, जनता और मानव अधिकार समुदाय की प्रतिक्रिया में या तो महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, या उनकी समस्या को सनसनीखेज बना दिया जाता है। पीड़ितों के रूप में महिलाएं उपभोग की वस्तु बन जाती बहुत सी 'पीड़ित' महिलाओं द्वारा प्रतिरोध के जो नमूने सामने आए हैं उन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

संयुक्त राज्य अमरीका के विमेन्स हैल्थ एण्ड ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव की टैरी मैकगोवर्न ने पीड़ित (विकटिम) होने की शक्ति के विचार को प्रस्तुत किया। कट्टरवादी हिंसा के पीड़ितों ने अक्सर अपनी शक्ति विकसित की है। वे उन लोगों से, जो प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण के लिए जिम्मेदार थे, या जिनके ऊपर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी (पुलिस), उनसे कुछ हद तक जवाबदेही प्राप्त कर पाए हैं। संपूर्ण विश्व में, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित महिलाओं को 'दुख और तकलीफ' की कहानी सुनाने वालों की जो भूमिका दी जाती है, उन्होंने उसे उतार कर फेंक दिया है और मानव अधिकार तथा जवाबदेही के संघर्ष में नेतृत्व की भूमिका ले ली है। हाँ, चुनी गई रणनीतियों और चलने वाले रास्तों में जाति, वर्ग, और विशेषाधिकारों के संदर्भ से संबद्ध अंतर जरूर हैं। फिर भी, कुछ सार्वभौमिक सबक और नमूने और ऐसे अनुभवों का थोड़ा बहुत विश्लेषण या किस तरह से ये महिलाएं गंभीर दुखों में से ऊपर उठ कर अवसर उत्पन्न कर पाई हैं, मौजूद हैं।

8. भाषा और अर्थ

भाषा और अर्थ, उसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, और शक्ति – एक ऐसा विषय था जो लगभग पूरे दिन सभी चर्चाओं में जोर-शोर से चलता रहा। सारे विश्व में कट्टरवादी ताकतों द्वारा नारीवादी भाषा के इस्तेमाल के प्रभावशाली विश्लेषण पर चर्चा की गई।

टैरी मैकगोवर्न ने राष्ट्रपति बुश द्वारा अफगानिस्तान तथा ईराक में युद्ध पर अपनी सफाई पेश करने में, भाषा के इस्तेमाल पर अपने विश्लेषण को सबसे साथ बांटा। इस विश्लेषण से, यह जाहिर हुआ कि अक्सर रुढ़िवादि अपने फायदे के लिए विरोध तथा आमूल परिवर्तन की भाषा अपनाते हैं।

एकिटविस्टों द्वारा कभी कभी बहुत अच्छे इरादे से इस्तेमाल की गई भाषा के संभव और वास्तविक रूप से अनजाने परिणामों के बारे में विशेषतौर पर, काफी जोर शोर से चर्चा हुई। क्रिया की गीतांजली मिश्रा ने एक गैर सरकारी संस्था द्वारा बनाए गए बलात्कार विरोधी पोस्टर का उदाहरण दिया, जिसमें रुढ़िवादिता के लिए अलग व्याख्या का इस्तेमाल किया गया था। पोस्टर के संदेश ‘वो तो अंधेरे में बाहर भी नहीं निकली’ के प्रयोग से कितनी अस्पष्टता तथा गलत जानकारी पैदा हो सकती है। लिडिया अल्पाइजर ने चिंहुआहुआ राज्य द्वारा महिलाओं को हत्या के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास में – घर पर रहने, और ‘उचित’ आचरण और कपड़ों के बारे में नारे इस्तेमाल करने के साथ साथ, महिलाओं पर कफ्यू लगाने के प्रयास की एक और व्याख्या जोड़ी।

जैसा कि स्मिता पमार ने कहा : “हमें ऐसी भाषा इस्तेमाल करने का डर है, जिससे हम अधिक नैतिकतावादी लगें। लेकिन वास्तव में हम अधिकारों के शब्दालम्बरों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ‘जीने के अधिकार’ के बारे में सोच कर देखें? इस समय मौलिक अधिकार में महिला अधिकारों की भाषा खुले रूप से प्रयोग करते हैं। लेकिन भाषा पर अधिकार किसका है?”

9. यौनिकता के मूददों पर चुप्पी

यौनिकता को अत्याचार तथा हिंसा की स्थिति पैदा करने वाला कारक मानकर इसे सभी लोगों के लिए नियंत्रित किया जाता है। लेकिन परिवार, समाज के साथ साथ राज्य विशेषकर महिलाओं की यौनिकता को नियंत्रित करते हैं। लगभग सभी

भाषाओं में अक्सर हिंसा की अभिव्यक्ति को यौनिक बनाया जाता है, साथ में यौनिक कल्पना आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली गालियों के लिए आधार तैयार करती है। महिलाओं से एक निश्चित प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है, ताकि वे अनवांछित यौनिक प्रस्तावों और बलात्कार को ना 'उकसाएं'। महिलाओं पर अपनी यौनिकता का आनन्द उठाने के लिए लांछन लगाया जाता है और अक्सर हिंसा को उन्हें यौनिक सुख का आनन्द उठाने की सजा देने के एक तरीके के रूप में प्रयोग किया जाता है।

टॉकिंग अबाउट रीप्रोडिटिव एण्ड सेक्शूअल हैल्थ इसूज़ (तारशी), भारत, की राधिका चंदीरामनी, ने इस ओर ध्यान दिलाया कि उल्लंघन तथा दर्द को संबोधित करने और रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने में महिला आंदोलन यह बात लगभग भूल ही गया कि यौनिकता का अर्थ आनन्द और विभिन्न तरीकों से स्वाधीनता के अधिकार (परसनहुड) के बारे में भी है। उन्होंने पूछा "लोगों में 'हाँ' कहने की क्षमता नहीं है तो उनसे 'ना' कह पाने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? 70 और 80 के दशकों में घरेलू हिंसा से लड़ने में महिला आंदोलन ने निजी को 'सार्वजनिक' बना दिया; लेकिन अब, यौनिक तथा जेंडर अपरंपरावादिता के कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा है, वे चाहते हैं कि लोगों के जीवन के कुछ पहलू निजी बने रहें। हिंसा में क्या शामिल है, इस बारे में शोध का भी विषमलैंगिकतावादी संकीर्ण दृष्टिकोण है।

यौनिक तथा जेंडर पहचान के मुद्दों को संबोधित करने वाले समूहों के बीच, यौनिक पहचान की राजनीति द्वारा भय के पदानुक्रम की एक दुखद प्रवृत्ति शुरू हो गई है, जिसका कहना है, 'मेरी परेशानियां तुमसे बड़ी हैं', और परिणामस्वरूप कुछ समूहों के लोग अधिकारों की मांग के दायरे से बाहर हो जाते हैं।

“हमें भागीदारियां बनाने और साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अंत में हम किसी अनजान व्यक्ति के साथ न रह जाएं।”

गीतांजली मिश्रा, भारत

संख्या में शक्ति

जिस तीसरे चश्मे से वैशिक संवाद के प्रतिभागियों ने महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे पर कार्य करने वाले एकिटविस्टों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार किया, वह था – महिला आंदोलन का अन्य पैरोकारी समूहों के साथ संबंध। नारीवाद के अलावा, सैद्धांतिक एवं कार्यात्मक ढाँचे और भाषा के अंदर कार्य करने से पैदा होने वाले मुद्दे और समस्याएं, बैलाजियों में हुई चर्चाओं व अनेक प्रस्तुतियों में मुख्य विषय बने रहे। चर्चाओं की शृंखला मानव अधिकार आंदोलन के बारे में वाद विवादों के इर्दगिर्द घूमती रही, जिसे कुछ प्रतिभागियों ने आंदोलन द्वारा नारीवादी और विशेषरूप से महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों के थोक उपयोग के तौर पर देखा।

मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार

मानव अधिकार की भागीदारी में कार्य करने का एक मुख्य बिन्दु है भाषा से जुड़े मुद्दों की शृंखला और इसे महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध कार्य करने के लिए ध्यान आकर्षित करने व संसाधन प्राप्त करने के लिए किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। हालाँकि कई प्रतिभागी इस बात से सहमत थे कि मानव अधिकार आंदोलन की भाषा भागीदारियां बनाने में सहायक होती है, और कई तरह की परिस्थितियों में दोनों क्षेत्रों के एकिटविस्टों के बीच एक उपयोगी पुल का काम करती हैं। साथ ही मानव

अधिकार आंदोलन की भाषा और ढाँचे को अपनाने के परिणामों के बारे में चिंताओं का बढ़ता स्तर भी मौजूद है।

समूह में कई लोगों के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण का प्रयोग करना एक ऐसे खेल के जैसा था, जो एकिटविस्टों को अपने उन मुद्दों के लिए अनुदान और ध्यान प्राप्त करने के लिए खेलना पड़ता है, जिनसे वे जूझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ का मानना था कि यह ऐसा खेल है, जो महिलाओं के प्रति हिंसा के क्षेत्र में कार्य करने वाले नारीवादी अपने मुद्दे और परियोजना के फायदे के लिए खेल सकते हैं। और दूसरे लोगों ने यह विचार जोड़ा, कि उन संदर्भों में यह एक आवश्यक बुराई है, जहाँ एक नारीवादी के रूप में खुलकर बोलने से मानव अधिकार ढाँचे का प्रयोग करना राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य है।

हालाँकि समूह के अंदर ही इस विचार को लेकर काफी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी थीं। जिसमें से काफी ने ऐसी परिस्थितियों के उदाहरण पेश किए, जहाँ मानव अधिकार आंदोलन का व्याख्यान तथा दर्शन उसी विषय पर नारीवादी सोच के बिल्कुल विपरीत चलता है, महत्वपूर्ण रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं के अधिकार और बच्चों के अधिकार विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। समूह इस बात पर बेहद स्पष्ट था कि महिलाओं के प्रति हिंसा पर सक्रियतावाद की जड़ें बुनियादी रूप से नारीवाद में हैं, और बनी रहनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो याद रखनी चाहिए, तथा इस पर भविष्य में जोर दिया जाना चाहिए।

भाषा और कारण

महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दे के लिए अनुदान व ध्यान आकर्षित करने के प्रयासों में, नारीवादियों द्वारा मानव अधिकार आंदोलन की भाषा और ढाँचे को अपनाने के बारे में वाद विवाद का विपरीत पक्ष है, अन्य लोगों द्वारा नारीवादी भाषा तथा मुद्दों का प्रयोग करना। कुछ प्रतिभागियों का मानना था कि नारीवादियों को ऐसी किसी भी भाषा के प्रयोग का डर होता

है, जिसे नैतिकतावादी समझा जा सकता है, पर यह भी ध्यान दिलाया कि अन्य, विशेषकर मौलिक अधिकार, महिला आंदोलन की भाषा को खुल कर अपनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ‘चुनने के अधिकार’ का विच्छयात, विचार भी शामिल है। कुछ के लिए, अन्य समूहों की तरह कुशलता से एजेंडों को अपनाने और इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना, सामान्य तौर पर नारीवाद के लिए और विशेषरूप से महिलाओं के प्रति हिंसा पर कार्य करने वाले पैरोकरों के लिए मुख्य मुद्दा है।

समूह ने अन्य आंदोलनों और साथ ही प्रशासकों तथा नीति-निर्माताओं द्वारा, महिलाओं के प्रति हिंसा के विशिष्ट मुद्दों को थोक रूप से उपयोग किए जाने के बारे में गंभीर चिंताएं प्रकट कीं। समूह का मानना था, कि यह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है और करता है, जहाँ एक समस्या को दूसरी उतनी ही जरूरी – लेकिन महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों से कम ‘आकर्षक’ – समस्या के बहिष्कार और नुकसान की एवज में अनुदान तथा ध्यान प्राप्त होता है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में अवैध मानव व्यापार को बार्बरा लीमानोवस्का द्वारा एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया, जिस पर रिपोर्ट में पहले चर्चा हो चुकी है।

राज्य समेत, दूसरों से समर्थन जुटाते समय, महिलाओं के प्रति हिंसा की एक विशेष समस्या का हल निकालने की खोज अक्सर आकर्षक मालूम पड़ती है। प्रतिभागियों को यह स्पष्ट था कि जब सहभागियों के एजेंडे प्रबल होंगे, इससे अनजाने परिणाम हो सकते हैं। अधिकतर ऐसे परिणाम जो महिला अधिकारों का उल्लंघन तथा अनादर करें, फिर चाहे वे हिंसात्मक परिस्थितियों से अलग ही क्यों न हों।

लाभदायक भागीदारी

भागीदारी में काम करना और विशेषकर मानव अधिकार आंदोलन के साथ काम करना, महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध कार्य करने वाले पात्रों की पहचानों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, समूह स्वयं को महिलाओं के

प्रति हिंसा के क्षेत्र में, और, महत्वपूर्ण तथा मुख्य रूप से, नारीवादी आंदोलन के व्यापक संदर्भ के अंदर कार्य करने वाले एकिटविस्टों के रूप में देखता है। इसलिए मानव अधिकार एकिटविस्टों या अन्य गुटों के साथ भागीदारियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं – ध्यान अधिकतः व्यापक मानव अधिकारों की बजाय महिलाओं के अधिकारों पर है ताकि उन्हें हिंसा न झेलनी पड़े।

इन चर्चाओं ने प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से यह समझने में सहायता की कि अन्य लोगों के साथ काम करने से कैसे लाभ हो सकता है – और जब ऐसा नहीं होता तो उससे क्या परेशानियां पैदा हो सकती हैं। यह वाद–विवाद विशेषकर काफी जटिल था। इसमें एकिटविस्टों को आदर्श तथा व्यावहारिकता के तुलनात्मक गुण–दोषों को संतुलित रूप से तौलने के साथ ही साथ अन्य लोगों की मंशा के बारे में बुनियादी अनुमान लगाना था – और परिणामों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन किस हद तक समझौता करने के लिए तैयार हो सकता है, इसपर निर्णय लेने की आवश्यकता थी।

भागीदारियों से जुड़े मुद्दे काफी विवादास्पद हो सकते हैं तथा उनका सामना करना कठिन हो सकता है। महिलाओं के प्रति हिंसा के क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत से लोग व्यापक परिदृश्य तथा अपने कार्यक्रमों और परियोजनाओं में निहित हितों के बीच संघर्ष का सामना करेंगे। हालाँकि, महिलाओं के प्रति हिंसा आंदोलन को बेहतर तरीके से अपनी प्राथमिकताओं तथा पहचान को स्थापित करने के लिए इन भागीदारी के सरोकारों का सामना करना चाहिए।

‘लोगों में ‘हाँ’ कहने की क्षमता नहीं है तो उनसे ‘ना’ कह पाने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।’

राधिका चन्द्रीरामनी, भारत

गठबंधन निर्माण संवाद के द्वारा चुना गया चौथा शीर्षक था – महिलाओं के प्रति हिंसा पर अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्राथमिकताएँ तथा रणनीतियाँ निश्चित करने का महत्व और कठिनाई।

चर्चा का मुख्य केन्द्र था महिलाओं के प्रति हिंसा को संबोधित करने के लिए वर्तमान में आंदोलन द्वारा प्रयोग की जाने वाली बहुत सी रणनीतियों की पहचान करना तथा अनुमान लगाना कि ये रणनीतियाँ कब और कहाँ प्रभावशाली होती हैं और उसके विपरीत कब सीमित होती हैं।

इन सीमाओं के अतिरिक्त, समूह ने इस बारे में भी विचार पेश किया कि किस प्रकार सामाजिक नीति के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के अनजाने परिणाम कभी कभी महिलाओं के जीवन में बाद में नजर आते हैं। इस बात के लिए नारीवाद की जिम्मेदारी – और ये समस्याएं पैदा न होती रहें यह सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन को जो कदम उठाने की आवश्यकता है, उसके बारे में काफी विस्तृत चर्चा हुई।

कारगर रणनीतियाँ

प्रस्तुतकर्ताओं ने महिलाओं के प्रति हिंसा की समाप्ति पर कार्यरत आंदोलनों तथा क्षेत्रों के निर्माण और संघठन के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियाँ पेश की।

रणनीति 1: वनांगना, उत्तर प्रदेश

माधवी कुकरेजा ने नुक्कड़ नाटक की रणनीति समझाई जो वनांगना ने इस्तेमाल की है। वनांगना की शुरुआत एक मज़बूत नारीवादी दृष्टिकोण के साथ उत्तर भारत के एक राज्य, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में दलित तथा आदिवासी महिलाओं के द्वारा हुई। इस क्षेत्र में गरीबी और सामन्तवाद दोनों एक साथ मिलकर जाति, वर्ग, और जेंडर आधारित भेदभाव की चरम स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक, सार्वजनिक तथा घरेलू – हिंसा तथा शोषण – इस क्षेत्र की महिलाओं द्वारा, दुगनी मात्रा में अनुभव किया जाता है, विशेषकर नीची जाति तथा आदिवासी महिलाओं द्वारा, जो वर्ग, जाति, और जेंडर पदक्रम में सबसे नीचे होती हैं।

ऐसी स्थिति को ध्यान में रखकर, जहाँ समाज में हिंसा तथा सत्ता चरम रूप में साफ नजर आती है, एक रणनीति की रचना की गई जिसने :

- पति के घरों में विवाहित महिलाओं की हत्याओं का सार्वजनिक मंचों पर सामना करने की ठानी;
- ऐसे गाँवों में नुक्कड़ नाटक किए गए, जहाँ महिलाओं की हत्या के मामले दर्ज किए गए थे;
- समुदाय की प्रतिक्रियाओं को सार्वजनिक तौर पर इन हत्याओं की निंदा तथा चर्चा करने के लिए प्रयोग किया।

रणनीति 2: डि.एच.आई.वी. लॉ प्रोजेक्ट, न्यूयॉर्क, यूएसए

यूनाइटेड स्टेट्स में, जब एच.आई.वी. और एड्स वाली महिलाओं की आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था, तब टैरी मैकगोवर्न ने एक बहु-भुज रास्ता अपनाया। उन्होंने एच.आई.वी. लॉ प्रोजेक्ट, नाम की एक संस्था की स्थापना की। यह संस्था कम आय वाले एच.आई.वी. पॉजिटिव, न्यूयॉर्कवासियों

के लिए और विशेषकर महिलाओं तथा अश्वेत लोगों के लिए, कानूनी तथा पैरोकारी सेवाओं में सबसे आगे रही है।

ऐसी स्थिति से आरंभ करके जहाँ एड्स को मुख्यतः एक ऐसी बीमारी के रूप में देखा जाता था जो उच्च तथा मध्यवर्गीय श्वेत समलैंगिक पुरुषों को प्रभावित करती थी और इसमें गरीब एच.आई.वी. पॉजिटिव अश्वेत महिलाओं तथा पुरुषों की बढ़ती जनसंख्या शामिल नहीं थी, एक रणनीति बनाई गई जिसके कारण:

- सन् 1990 में, संघीय सरकार के प्रति पहली श्रैणी की कार्यवाही की गई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा प्रशासन द्वारा महिलाओं तथा अश्वेत लोगों को अपंगता लाभ न देने को एक भेदभाव के रूप में चुनौती दी गई, जिसे संस्था ने जीता;
- सेवाएं देने और पैरोकारी का संयोजन प्राप्त किया;
- संक्रमित महिलाओं को निर्धारित शिक्षा प्रदान की ताकि वे अपने केस की दलीलें स्वयं पेश कर सकें।

रणनीति 3: दण्ड रोको, एक और ना मरे: अभियान, चिंहुआहुआ, मैक्सिको

लिडिया अल्फाइज़र ने मैक्सिको के इस अभियान की व्याख्या की जो मैक्सिकन सक्रियतावादियों के एक गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था। सन् 1993 से, मैक्सिको / यूएस सीमाक्षेत्र के सिउदाद जुआरेज़ कस्बे में 280 से अधिक महिलाओं की हत्या कर दी गई। नगर, राष्ट्रीय, या अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरणों की ओर से प्रतिबद्धता बहुत कम होने के साथ साथ लापता होने वाली महिलाओं की सूची में वृद्धि होती रही है।

विशेषज्ञों के नेटवर्क तथा साथ मिलकर कार्य करने की सामूहिक शक्ति के आधार पर रणनीति के प्रयोग से, अभियान ने :

- हत्याओं के इर्दगिर्द बातचीत को 'एक और महिला मरी' से 'दण्ड रोको', से 'महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन और नहीं' से लेकर, 'एक प्रभावशाली हस्तक्षेप के लिए राज्य जिम्मेदार है' में बदल दिया है;
- अंतर-अमरीकी मानव अधिकार आयोग के जुड़ाव को बढ़ावा दिया;
- संघीय सरकार के शामिल होने और राज्य तथा स्थानीय सरकार की जवाबदेही के लिए जोर दिया।

रणनीति 4: क्रिया, नई दिल्ली, भारत

प्रमदा मेनन द्वारा क्रिया के कार्य की व्याख्या ने दिखाया कि मानव अधिकारों को गंभीरता के साथ साथ मनोरंजक तरीकों से भी संबोधित किया जा सकता है। उन्होंने यौनिकता तथा मानव अधिकार पर अध्ययन आयोजित करने, नए परिवर्तन लाने वाले विषयों पर आदान-प्रदान (एक्सचेंज) कार्यक्रम लागू करने से लेकर फ़िल्म समारोह, रंगमंच प्रदर्शन और महिलाओं के प्रति हिंसा, यौनिकता, जेंडर तथा अधिकारों के मुद्दों पर इंटरनेट चैट तक की अलग अलग रणनीतियों पर प्रकाश डाला।

महिलाओं के साथ संवाद की रणनीति से कार्य करते हुए व्यापक पहलों के प्रयोग के साथ संस्था :

- यौनिकता, जेंडर तथा मानव अधिकार के मुद्दों पर कार्य करने के लिए नए तथा भिन्न पात्रों को एक साथ लाई;
- समुदाय आधारित संस्थाओं में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए हिंदी, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध संसाधन सामग्री के अभाव पर प्रकाश डाला;
- यौनिकता, महिलाओं के प्रति हिंसा, जेंडर तथा अधिकारों के मुद्दों पर सक्रियतावाद तथा पैरोकारी समूह का निर्माण कर रही है।

रणनीति 5: विमेन्स इनीशिएटिव फॉर जेंडर जस्टिस, दि हेग, नीदरलैण्ड्स

विमेन्स इनीशिएटिव फॉर जेंडर जस्टिस संस्था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य संचालन, सीडॉ (CEDAW) के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रक्रियाओं में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने पर कार्य कर करती है। ब्रिजिड इंदर ने उन रणनीतियों की व्याख्या की जिनका संस्था अपने कार्यों में प्रयोग करती है:

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के साथ कार्य कर पाने के अवसर से लेकर, जेंडर न्याय के लिए रणनीति बनाने में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकारी प्रतिनिधिमण्डलों और मुख्यधारा की मानव अधिकार से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं का महिलाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का क्षमता निर्माण करना;
- एच.आई.वी./एड्स, अवैध मानव व्यापार (ट्रैफिकिंग) तथा जेंडर न्याय को और आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी अधिकार समेत सामाजिक आंदोलनों के साथ गठबंधन बनाना;
- जेंडर मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के प्रहरी के रूप में कार्य करना।

रणनीतियों को आँकना

नारीवादी आंदोलन की वर्तमान स्थिति ऐसा शीर्षक था जो पूरे सम्मेलन के दौरान बहुत से रूपों में बार बार सामने आया। समूह ने इस बात का अंदेशा जाहिर किया कि एक रणनीति के रूप में सक्रियतावाद घट रहा है। इसे नाना प्रकार से – जैसे नारीवाद एक चिंतन के समय में प्रवेश कर रहा है, या निष्क्रियता तथा संभव पतन – के रूप में देखा गया।

रणनीतियों का आंकलन करने में, प्रतिभागियों ने उन तरीकों का विश्लेषण करने में समय व्यतीत किया जो महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए प्रयोग किये जाते हैं : प्रत्यक्ष सहायता, रोकथाम, पुरुषों के साथ कार्य करना, विधेयकों पर बातचीत—समझौता, और अंतर्राष्ट्रीय पैरोकारी। हालाँकि हर एक को आंदोलन के द्वारा काफी हद इस्तेमाल किया जा सकता है, और किया गया है, परंतु प्रतिभागी हर एक के साथ – महत्वपूर्ण सीमाओं और संभावित रूप से महत्वपूर्ण समस्याओं – को खोज तथा परिभाषित कर पाए।

समूह द्वारा प्रत्यक्ष सहायता को महिलाओं के प्रति हिंसा आंदोलन को गैर राजनीतिक बनाने के – संभावित नुकसानदेह परिणामों के साथ – एक उपाय की बजाय दर्द कम करने की दवा के रूप देखा गया। जहाँ समूह के कुछ लोग सफलता की उच्चदर के साथ हिंसा के मुद्दों से लड़ने में प्रत्यक्ष सहायता से जुड़े हुए हैं, वहीं प्रतिभागियों ने महसूस किया कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के प्रति हिंसा के क्षेत्र में कार्य केवल इसी क्षेत्र में सीमित न रहे – और रणनीति तथा नीतिनिर्माण के काम पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाए। हालाँकि इस पर भी बहस हुई कि प्रत्यक्ष सहायता का कार्य राजनीतिक स्वभाव का भी हो सकता है और उसे कम नहीं आँका जाना चाहिए तथा रोकथाम या पैरोकारी कार्य की तुलना में, किसी न किसी तरह से हमेशा नीचे नहीं खड़ा करना चाहिए।

समूह ने यह भी महसूस किया कि केवल रोकथाम पर ध्यान केन्द्रित करने से प्रशिक्षणों तथा चेतना जगाने वाले कार्यक्रमों के द्वारा सक्रियता की लहर पैदा हो सकती है। हालाँकि, इसका परिणाम वास्तविक प्रभाव नापने की बजाय इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या गिनना मात्र हो सकता है। अन्य रणनीतियों की भी अपनी सीमाएं हैं; पुरुषों के साथ कार्य करना नारीवादी आंदोलन के लिए विवादास्पद रास्ता है और उसमें आगे परिभाषा तथा विकास की आवश्यकता है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को अलग करने की दिशा में विधेयक के लिए बातचीत घरेलू हिंसा पर ध्यान केन्द्रित करती है।

परस्पर—विरोधी प्राथमिकताएँ

कभी कभी महिलाओं के प्रति हिंसा आंदोलन को महिलाओं के जीवन पर बराबर की मांगों का सामना करना पड़ता है। कुछ प्रतिभागियों का मानना था कि आंदोलन ने स्वयं को बुनियादी सिद्धांतों से महिलाओं के अल्पकालीन आर्थिक लाभों के लिए भटक जाने दिया है, इसका परिणाम यह हुआ है कि अन्य विचारधाराओं के पक्ष में महिलाओं के अधिकार दरकिनार हो गए हैं। उदाहरण के लिए, कन्या भ्रूण गर्भपात के उचित उत्तरों पर विचार करते समय आंदोलन को आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारणों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। स्थिति स्पष्ट रूप से राजनीतिक तथा नैतिक दोनों तरह से आवेशित है, और इसमें प्राथमिकताओं की संपूर्ण जाँच शामिल है।

प्रतिभागियों ने इस बात पर चर्चा की, कि किस तरह नारीवादियों ने अनुदान प्राप्त करने के तरीके के रूप में, और मानव अधिकार तथा महिला अधिकारों के मुद्दों के बीच की समान बातों के गौण उत्पादन के रूप में स्वयं को मानव अधिकार आंदोलन की भाषा तथा तरीकों को अधिकाधिक अपनाते पाया है। प्रतिभागियों ने, कुछ संस्थापन भूमिकाओं के अंदर, धीरे धीरे नारीवाद की स्वीकृति और विशेषकर राष्ट्रीय तथा राष्ट्रों की सीमा के परे नीतिनिर्धारण में उसके समावेश के प्रभावों के बारे में भी बात की।

कई वर्षों से महिला आंदोलन का हिस्सा रहे लोगों और युवा नारीवादियों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के बीच संबंधों के बारे में काफी वाद विवाद हुआ। लिडिया अल्पाइज़र ने उस हताशा को बताया, जो बहुत से लोग महसूस कर रहे थे। उन्होंने यह कहा कि बहुत से युवा नारीवादियों के लिए, आंदोलन की कठोरता और उसके तौर तरीकों का अर्थ है कि उनके अधिकारों का आदर नहीं किया जाता और उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। अन्य लोगों ने यह विचार उठाया कि गैर सरकारी संस्थाओं के अंदर कार्य करने वाले बहुत से युवा एकिटविस्टों के लिए इसे अधिकाधिक एक 'पेशे' के रूप में देखा जा रहा है।

बहुतों ने, महिला अधिकार लक्ष्यों के मानव अधिकार विचारधारा में शामिल हो जाने को, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा अन्य नारीवादी आंदोलनों के राजनीतिक मुद्दा ना रहने के मुख्य कारण के रूप में देखा। उन्होंने महसूस किया कि जो बुनियाद खो गई है उसे पुनः प्राप्त करना चाहिए क्योंकि एकिटविस्ट आगे बढ़ना चाहते हैं। समूह ने, विशेषकर, उदाहरण के तौर पर मिलेनियम विकास लक्ष्यों की ओर संकेत किया। ऐसा महसूस हुआ कि जेंडर संबंधित मुद्दों में कमी से लेकर प्राथमिक शिक्षा पर पहुँच के उपाय, और मातृ मत्युदर, आंदोलन के द्वारा यह सुनिश्चित करने में असफलता के सूचक हैं कि नारीवादी सिद्धांत अन्य मुद्दों द्वारा धीरे धीरे नष्ट ना हो जाएं।

समूह ने कुछ विशेष विषयों, विशेषरूप से धर्म तथा जेंडर से जुड़े मुद्दों पर नारीवाद की टालमटोल पर चर्चा की। सुनिला अबयासेकरा ने संकेत दिया कि इसके पीछे छुपा कारण था इन विषयों की कठिनाई। विशेषरूप से आंदोलन के अंदर, और साथ ही मानव अधिकार तथा लैसबिअन, गे, बाइसेक्स्युअल, ट्रान्सजेंडर नेटवर्कों समेत अन्य संस्थाओं के साथ बातचीत में यह जो मतभेद पैदा करते हैं। ऐमनेस्टि इन्टरनेशनल की गीता सहगल ने उल्लेख किया कि नारीवादी तथा सामाजिक न्याय आंदोलन दोनों का हिस्सा बनना अधिकाधिक मुश्किल है।

गैर सरकारी संस्थाओं की स्थिति तथा ईमानदारी के बारे में चर्चा हुई थी। प्रमदा मेनन ने महसूस किया कि यह पूर्वधारणा बढ़ती जा रही है कि अनुदान प्राप्त करने का अर्थ है संस्थाएं अपने डोनरों की कठपुतलियां हैं। इस विषय को गीता सहगल ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने इसके बारे में बात की कि दक्षिण पंथी समूहों तथा संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं पर संदेह करना एक आम बात है। और सलमाह विमेन्स ट्रेनिंग एण्ड डाक्यूमेंटेशन सेंटर, सूडान से फाहिमा हाशिम ने सूडानी सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं की स्थिति पर नियंत्रण, और उसके परिणामस्वरूप होने वाली संस्थाओं की ईमानदारी के संदर्भ में डोनरों की अनदेखी की व्याख्या से एक प्रबल मिसाल जोड़ी।

समूह ने माना कि यह स्थिति नारीवाद के भविष्य के लिए

विचारणीय चिंता पैदा करती है। प्रतिभागियों ने एक आम भावना के बारे में बात की कि नारीवादी परिवर्तितों को शिक्षा देने में जुटे हुए हैं, और उस क्षेत्र से आगे पहुँचने में असफल हो रहे हैं। बाबरा लीमानोवस्का ने बहुत सही कहा : “गैर सरकारी संस्थाओं को अधिकतर उनकी व्यावसायिकता के लिए महत्व दिया जाता है, न कि उनकी विचारधारा के लिए।”

भविय के लिए प्राथमिकताएँ

प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि भविष्य में आंदोलन के बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए, महिलाओं के प्रति हिंसा के क्षेत्र, तथा सामान्य रूप से नारीवादियों के बीच प्राथमिकताओं की पूरी तरह जाँच, काफी समय से बाकी है तथा महत्वपूर्ण है। हालाँकि स्वयं प्रतिभागी ऐसी स्थितियों में कार्य करते हैं जहाँ अक्सर समझौता करने की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर नारीवाद के अलावा अन्य भाषाओं तथा ढाँचों के अंदर काम करने में। समूह का विश्वास था कि एकिटविस्टों को उन मुख्य सिद्धांतों को पुनः देखना चाहिए जिनके द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा के क्षेत्र में भविष्य में कार्य हो सकता है। संस्थाओं को भी महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों को बेहतर रूप से संबोधित करने के लिए जेंडर, यौनिकता तथा मानव अधिकार के विभिन्न हिस्सों पर काम करने के लिए अपनी क्षमता को मजबूत करने की आवश्यकता है।

”हम जो पैसा लेते हैं, हमें उसके व्यापक परिणामों पर ध्यान देने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।“

प्रमदा मेनन, भारत

गठबंधन निर्माण संवाद के दौरान उभरने वाला पाँचवा मुख्य शीर्षक था – अनुदान, डोनरों तथा एकिटविस्टों के बीच संबंध और बहुत सामान्यतौर पर सत्ता के इर्दगिर्द के मुददों का समूह। समूह में डोनर तथा जिनका कार्य संसाधनों के सफल आवेदन पर आश्रित होता है वे दोनों शामिल थे, जिससे एक जीवंत, ईमानदार और संपूर्ण चर्चा हुई।

महिलाओं के प्रति हिंसा पर आंदोलन की पैरोकारी के विश्लेषण के लिए यह चश्मा आंदोलन के अंदरुनी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इस आधार पत्र में खोजे गए हर शीर्षक के साथ भी गूंजता है। समूह ने विशेषरूप से, आंदोलन के डोनरों तथा प्राप्तकर्ताओं के बीच संबंधों में नारीवाद की भूमिका पर चर्चा की क्योंकि आंदोलन के नेता सत्ता के केंद्रों के निकट पहुँच गए हैं।

सत्ता तथा प्राथमिकताएँ

एकिटविस्टों तथा डोनरों के बीच संबंधों पर समूह के विचार अक्सर संबंधों के अंदर की सत्ता की चर्चा द्वारा दिखाई दिए। प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि संस्थाओं तथा अन्य डोनरों की प्रतिष्ठा उन्हें गैर सरकारी संस्थाओं तथा अनुदान प्राप्त करने वाली अन्य संस्थाओं के ऊपर विशेष सत्ता की क्षमता प्रदान करती है।

जैसे कि ऑस्ट्रेया लेस्बिअन फण्ड फॉर जस्टिस, यूनीइटेड स्टेट्स की कैथरीन एसी कहती हैं : “हमारे पास सत्ता हमारे निर्णय लेने की भूमिका के कारण है। हम अभी भी सीख रहे हैं कि आराम से और स्पष्ट रूप से कैसे चलना है”। उन्होंने एक ही मुद्दे (उदाहरण के लिए अवैध मानव व्यापार) पर केन्द्रित काम करने की बढ़ती प्रवृत्ति और इन मुद्दों का अधिकतर बिना समीक्षा के निकल जाना, जैसी बातों को उठाया।

इससे उन लोगों को काफी लाभ होता है, जो नीति के क्षेत्रों तथा संसाधन आकर्षित करने वाली समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के अपने प्रयासों के लिए अनुदान पर आश्रित हैं, जिससे गंभीर विरुपण हो सकता है और डोनरों के लिए अन्य मुद्दों के नुकसान से इन क्षेत्रों में आगे और अनुदान देने का रास्ता हो सकता है।

अनुदान देने वाली संस्थाओं की सत्ता प्रतिभागियों की चिंता का कारण थी, जिन्होंने ध्यान दिलाया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं प्रभावशाली रूप से ऐसी स्थिति में हैं जहाँ कि वे कुछ राज्यों को चला सकती हैं। कुछ उत्तर देने वालों ने आगे बताया कि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) में बहुत से राज्य विश्व व्यापार संस्थान जैसी सीमा पार राष्ट्रों की संस्थाओं के साथ संबंधों के संदर्भ में स्वयं के तथा अपने लोगों के अधिकारों को दृढ़ता से कहने के लिए संघर्ष करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आमतौर पर यह धारणा थी कि बहुत से डोनरों के कार्य करने के दो तरीके हैं, एक वर्ग की परियोजनाएं ‘गंभीर’ मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करती हैं जैसे कि आर्थिक विकास, और अन्य वर्ग की दूसरे दर्जे पर, जिसमें महिलाओं के मुद्दे शामिल हैं। यह प्रश्न भी था कि इन संस्थाओं के अंदर काम करने वाले नारीवादी वास्तव में डोनर होने की सत्ता को कैसे संभालते हैं और महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों पर सक्रियतावाद जैसे मुद्दों को सहायता देते हैं। कुछ प्रतिभागियों ने बताया कि हालाँकि परोपकारी (फिलैन्ट्रोपिक) जगत के अंदर महिलाओं के पास काफी सत्ता है, लेकिन नारीवादी परियोजनाओं के लिए वर्तमान में उपलब्ध अनुदान अपेक्षाकृत काफी कम है।

अनुदान देने वाले समुदाय के चारों ओर चर्चा के दूसरे तार ने नारीवादी आंदोलन तथा महिलाओं के मुद्दों को फिर से जीवित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। कैथरीन एसी ने अपनी संस्था द्वारा अनुदान देने के तीन उद्देश्यों – आंदोलन को बढ़ाना, नेतृत्व विकास, और राजनीतिक शिक्षा तथा विश्लेषण समेत क्षमता निर्माण – पर पुनः ध्यान केन्द्रित करने के बारे में हाल में किये गए कार्य पर चर्चा की।

जेंडर यूनिट की मुखिया, गीता सहगल ने ऐमेनस्टि इन्टरनेशनल के महिलाओं के मुद्दों पर हाल में उठाए गए कदमों के द्वारा पुनः ध्यान केंद्रित करने के बारे में बात की, जिसमें अपने देश के अंदर महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों पर देश के प्रशासन को कार्य करने की आवश्यकता होती है। फोर्ड फाउंडेशन की प्रोग्राम ऑफिसर, बार्बरा फिलिप्स ने भी यूएस.ए. में महिलाओं के साथ महिला आंदोलन के प्रति उनकी मनोवृत्ति पर हुए सर्वेक्षण के परिणामों को सबके साथ बांटा। अधिकांश का मानना था कि पुनर्जीवन आज बहुत समय से बाकी और महत्वपूर्ण है। उनमें से 92 प्रतिशत लोग महिला आंदोलन के लिए मुख्य प्राथमिकता के रूप में घरेलू हिंसा तथा यौनिक आघात का उल्लेख करते हैं।

सत्ता तथा नारीवाद

प्रतिभागियों ने महसूस किया कि एक बार व्यापक नारीवादी आंदोलन के अंदर के मतभेदों तथा विखण्डनों पर चर्चा होने तथा हल निकल जाने पर भविष्य में महिलाओं के प्रति हिंसा पर कार्य करने वाले एकिटविस्टों को संसाधन पर पहुँच प्राप्त करने की अच्छी संभावना होगी। इस समय, सक्रियतावादी नारीवाद ने विश्व बैंक जैसी संस्थाओं, साथ ही साथ सरकारी प्रशासनों के केन्द्र में महिलाओं को स्थापित करने की ओर जो कदम बढ़ाया है उससे लाभ उठाने की स्थिति में होगें।

वे यह भी विश्वास करते हैं कि पूरे नारीवादी आंदोलन, और महिलाओं के प्रति हिंसा पर कार्य करने वाले एकिटविस्टों के लिए अन्य आंदोलनों तथा पैरोकारी समूहों के साथ काम करने के सबसे बेहतर तरीकों और अन्य ढाँचों तथा भाषाओं को किस

हद बदलना या अपनाना है, ध्यान में रख कर समय व्यतीत करना जरुरी है। प्रतिभागियों का मानना था यह जरुरी है कि एकिटविस्ट अपने कार्य के नारीवादी स्वभाव को मानव अधिकारों की लॉबी, तथा अन्य समूहों के हितों में सम्मिलित न होने दें।

यह अनिवार्य समझा गया कि महिलाओं के प्रति हिंसा पर कार्य करने वाले एकिटविस्ट, तथा पूरा नारीवादी आंदोलन, जो निर्णय लेता है और अपने कार्य में जो प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, उसके व्यापक परिणामों पर विचार करें। प्रतिभागियों ने ऐसी कई स्थितियों के उदाहरणों का उल्लेख किया जहाँ कुछ विशेष कार्य, या किसी विशेष कार्यवाही की प्राथमिकता तय करने या रणनीतियों का फल आगे जाकर अनचाहे नतीजे में हुआ है।

‘‘कितनी अजीब बात है कि – क्या एक महिला को यौनकार्य करने का चुनाव करने का अधिकार है या नहीं – इस प्रश्न पर आपकी सोच यह निश्चित करती है कि आप नारीवादी हैं या नहीं।’’

बार्बरा लीमानोवस्का, पोलैण्ड

गठबंधन निर्माण संवाद ने महिलाओं के प्रति हिंसा आंदोलन पर कार्य कर रहे लोगों तथा नारीवादी आंदोलन जिन समस्याओं तथा मुद्दों का सामना कर रहा है उन्हें निश्चित करने लिए काफी कुछ किया। वैयक्तिक परियोजनाओं द्वारा रणनीतिक समस्याओं तथा कार्य में इनके उदाहरणों को शामिल करते हुए काफी उत्साहपूर्ण वाद-विवाद तथा चर्चा हुई। जो मुद्दे बार बार सामने आए वे इस प्रकार थे:

- महिला आंदोलन के अंदर संबंधों का प्रश्न, और विशेषकर ‘नारीवादी’ की समरूप पट्टी के साथ असहजता की भावना;
- नारीवादी आंदोलन के अन्य आंदोलनों के साथ कार्य करने, विशेषरूप से मानव अधिकार तथा बाल अधिकार, और खासकर सत्ता संतुलनों के साथ निपटने के प्रश्नों का मुद्दा;
- जेंडर न्याय के क्षेत्र में परस्पर-विरोधी प्राथमिकताओं की पुनरावर्ती समस्या;
- डोनर संस्थाओं के साथ काम करने, और खासकर पैसों तथा सत्ता के साथ नारीवाद के असहज संबंध से जुड़ी समस्याएं।

महिलाओं के प्रति हिंसा के मुद्दों पर वैश्विक संयोजन तथा सहभागिता को मजबूत करने के उद्देश्य से, इन चुनौतियों को पहचनाना तथा इनका सामना करना जरुरी है, चाहे पूरा समाधान निकालना असंभव ही क्यों न हो। इन सभी चुनौतियों को नारीवादियों, और विशेषकर जो महिलाओं के प्रति हिंसा के कार्य में शामिल हैं उनकी ओर से समय के अर्थपूर्ण निवेश तथा सोच की आवश्यकता है। प्रश्न बुनियादी हैं, और पूरे विश्व में महिलाएं जो उत्तर देंगी वही व्यापक आंदोलन के भविष्य को आकर देंगें, साथ ही साथ महिलाओं के प्रति हिंसा की समाप्ति की ओर प्रगति में सहायता या बाधा बनेंगे।

प्रतिभागी

प्रतिभागी संवाद के समय निम्न संस्थाओं के साथ जूड़े हुए थे।

अलेजान्ड्रा सारदा

रीजनल प्रोग्राम ऑफिसर, लैटिन अमेरिकन / कैरिबिअन इंटरनेशनल गे एण्ड लेसबिअन व्यूमन राइट्स कमीशन कोरडोबा 2645ए 8वीओ. 25, ब्यूनोस एअरस, अर्जेन्टीना
फोन : 54 11 4961 3531, टेलिफैक्स : (रीजनल ऑफिस मैक्सिको सिटी, डी.एफ.) 52 55 1054 3214

बार्बरा लीमानोवस्का

कन्सलटेन्ट ऑन ट्रैफिकिंग
यूनीसेफ / यूएनओएचसीएचआर / ओडीआईएचआर प्रोजेक्ट
एनीलेविक्या 35/20, 01-057 वारशॉ, पोलैण्ड
फोन : 48 22 838 81 95
ईमेल : blimanowska@hotmail.com

बार्बरा फिलिप्स

प्रोग्राम ऑफिसर, विमेन्स व्यूमन राइट्स
फोर्ड फाउंडेशन
329 ईस्ट 43 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, एन.वाई. 10017, यू.एस.ए.
फोन : 1 212 573 5302, फैक्स : 1 212 351 3654
ईमेल : B.Phillips@fordfound.org

ब्रिजिड इंदर

इक्जेक्यूटिव डायरेक्टर
विमेन्स इनीशिएटिवस् फॉर जेंडर जस्टिस
ऐना पाउलोनास्त्रात 103, 2518बीसी दि हेग, नीदरलैण्डस्
फोन : 31 70 365 2042, फैक्स : 31 70 392 5270
ईमेल : brigid@iccwomen.org

फाहिमा हशिम

कोऑर्डिनेटर

सलमाह विमेन्स ट्रेनिंग एण्ड डाक्यूमेंटेशन सेंटर, सूडान से
स्ट्रीट 47, हाउस 76, खारतोम, सूडान

फोन : 249 87 559192 / 249 87 575556, फैक्स : 249 1
83 471204

ईमेल : fahimahashim@yahoo.com

गीता सहगल

हेड, जेंडर यूनिट

ऐमनेस्टि इन्टरनेशनल

1 ईस्टर्न स्ट्रीट, लंदन डब्ल्यूसी1एक्स 8डीजे, इंगलैण्ड

फोन : 44 20 7413 5529

ईमेल : Gsahgal@amnesty.org

गीतांजली मिश्रा

इकजेक्यूटिव डायरेक्टर

क्रिया (सीआरईए)

7 बी जंगपुरा, दूसरी मंजिल, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110
014, भारत

फोन : 91 11 2437 7707 फैक्स : 91 11 2437 7708

ईमेल : gmisra@creaworld.org

कैथरीन एसी

इकजेक्यूटिव डायरेक्टर

ऑस्ट्रेया लेसबिअन फण्ड फॉर जरिट्स

116 ई. 16 स्ट्रीट, 7 फ्लोर, न्यूयॉर्क, एनवाई 10003, यूएसए

फोन : 1 212 529 8021 फैक्स : 1 212 982 3321

ईमेल : kta@astraefoundation.org

लीसा वैटेन

जेंडर प्रोग्राम मैनेजर

सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ वायलेन्स एण्ड रेकन्सिलिएशन

पी ओ बॉक्स 30778, ब्रैमफोन्टीन 2017, साउथ अफ्रीका

फोन : 11 403–5650 ऐक्स्टेनशन 130

फैक्स : 11 339–6785

ईमेल : lvetten@csvr.org.za

लालैन पी विआडो

रिसर्चर / कन्सलटेन्ट ऑन सेक्स्युअल एण्ड रीप्रोडक्टिव राइट्स्

49 माहियैन स्ट्रीट टीचर्स विपेज, डिलिमैन

क्वीज़ौन सिटी, फिलीपीन्स

फैक्स : 81 43 299 2521 (c/o मार्गरीटा गुएरेरो)

ईमेल : lalaine_p_viado@yahoo.com

लिडिया अल्पाइज़र

प्रोग्राम कोऑडिनेटर, फैमिनिस्ट मूवमेन्ट्स एण्ड

ऑरगेनाइजेशन्स्

असोसिएशन ॲफ विमेन्स राइट्स इन डिवेलपमेन्ट

कोरडोबा 234, आईएनटी 7, कोलोनिआ रोमा सुर, सीपी

06760

मैक्सिको डीएफ, मैक्सिको

फोन : 52 5554642389

ईमेल : alpizar_lydia@hotmail.com

माध्वी कुकरेजा

डायरेक्टर

वनांगना

232 गुलमोहर, 18 मदन मोहन मालवीय मार्ग

लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया

फोन : 91 522 2206464 मोबाइल : 91 9415104361

ईमेल : vanangana@rediffmail.com

प्रमदा मेनन

डायरेक्टर प्रोग्राम्स्

क्रिया (सीआरईए)

7 बी जंगपुरा, दूसरी मंजिल, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110

014, भारत

फोन : 91 11 2437 7707 फैक्स : 91 11 2437 7708

ईमेल : crea@vsnl.net

राधिका चन्द्रीरामनी

इक्जेक्यूटिव डायरेक्टर

तारशी

11 मथुरा रोड, जंगपुरा बी, न्यू दिल्ली 110 014, इंडिया

फोन : 91 11 24379070 फैक्स : 91 11 24379071

ईमेल : rchandiramani@tarshi.com

रोज़लिन साचेल

इक्जेक्यूटिव डायरेक्टर

सीज़ एण्ड डेसिस्ट इंकॉर्पोरेशन

3891 लीहाई लौरेल कोर्ट, डीकैटूर, एटलान्टा, जीए 30034,

यमएसए

फोन : 1 678 418 7626 फैक्स : 1 678 418 3925

ईमेल : revroz@msn.com

स्मिता पमार

प्रोग्राम मैनेजर

क्रिया (सीआरईए)ईएसटी

7थ फ्लोर

न्यूयॉर्क, एनवाई 10017

यूएसए

फोन : 1 212 555 1071 फैक्स : 1 212 555 1075

ईमेल : www.creaworld.org

सुनीला अबयासेकरा
इक्जेक्यूटिव डायरेक्टर
इनफोर्म (INFORM)
54 शिरोमनी मवाथा, महारंगमा, कोलाम्बो, श्रीलंका
फोन : 94 11 2809538 फैक्स : 94 11 2809467
ईमेल : inform@slt.lk

टैरी मैकगोवर्न
डायरेक्टर, विमेन्स हैल्थ एण्ड व्यूमन राइट्स इनीशिएटिव
कोलम्बिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ
60 हैवेन ऐवेन्यू बी2 न्यूयॉर्क, एनवाई 10032, यूएसए
फोन : 1 212 304 5710 फैक्स : 1 212 305 7024
ईमेल : tm457@columbia.edu

विक्टोरिया कोलिस
डायरेक्टर, रिवर पाथ एसोशिएट्स
61 वेस्ट बौरोअ, विम्बॉर्न, डोरसेट बीएच 21 1एलएक्स,
इंगलैण्ड
ईमेल : vicroria@victoriacollis.com

क्रिया सन 2000 में स्थापित, नई दिल्ली, भारत में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। क्रिया का उद्देश्य महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना तथा यौनिकता, यौनिक एवं प्रजनन अधिकार, महिलाओं के प्रति हिंसा, और महिला मानव अधिकार के मुददों पर ध्यान केन्द्रित करने के द्वारा महिलाओं को अपने मानव अधिकारों को सुस्पष्ट करने, मांग करने तथा पहुँच प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है। सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रिया का प्रयत्न – नागरिक समाज संस्थाओं को मजबूत बनाना और नेतृत्व संस्थानों, एक्सचेंज कार्यक्रमों, स्टडी टूर, सार्वजनिक शिक्षा की सामग्री के सृजन तथा वितरण, और विषय आधारित पैरोकारी अभियानों के समन्वयन द्वारा व्यक्तियों को सशक्त बनाना है।

© क्रिया 2005

अनुवाद 2008

आधार पत्र की यह जानकारी वितरण के लिए है और उचित आभारोक्ति के साथ कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। इसे व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

CREA

7 बी जंगपुरा, दूसरी मंजिल, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110 014, भारत
फोन: 91 11 2437 7707, फैक्स: 91 11 2437 7708
ई-मेल: crea@vsnl.net, वेब-साइट: www.creaworld.org